झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान– सभा

पंचम (बजट) सत्र

वर्ग– 02

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न, मंगलवार, दिनांक– 18 फाल्गुन, 1937 [श0] को / 08 मार्च, 2016 [ई0]

झारखण्ड विधान– सभा के आदेश– पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्र0सं0–	विभागों को भेजी गई सा0 संख्या	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01.	02.	03.	04.	05.	06
945–	शि– 103	श्री कुणाल षड़ंगी	नियुक्ति अनुमोदन हेतु आदेश।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	29.02.2016
946–	वन– 32	श्री शिवशंकर उराँव	पदाधिकारियों पर कार्रवाई।	वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	26.02.2016
947–	उत– 36	श्री सुखदेव भगत	स्नातक स्तर की पढ़ाई।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	20.02.2016
948–	शि– 22	श्री बिरंची नारायण	स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षा।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	11.02.2016
949–	टन– 38	श्री नारायण दास	श्राद्धालुओं को सुविधा देना।	पर्यटन, कला संस्कृति, खेल–कूद एवं युवा कार्य	18.02.2016
950–	टन– 48	श्री नागेन्द्र महतो	पर्यटन स्थल घोषित करना।	पर्यटन, कला संस्कृति, खेल–कूद एवं युवा कार्य	24.02.2016
951–	वन– 26	श्री अरूप चटर्जी	स्नेक पार्क बनाना।	वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	17.02.2016
952–	उत– 53	डॉ0 जीतू चरण राम	पोलटेकनिक महाविद्यालय खोलना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	01.03.2016
953–	उ– 28	श्री राजकुमार यादव	चतुर्थ वर्ग का पद सुरक्षित रखना।	उद्योग	01.03.2016

(कृ0 पृ0 उ0)

01.		02.	03.	04.	05.	06
954–	टन–	44	श्री अरूप चटर्जी	खेल छात्रावास का संचालन।	पर्यटन, कला संस्कृति, खेल–कूद एवं युवा कार्य	24.02.2016
955–	टन–	55	श्री कुणाल षड़ंगी	समयबद्ध कार्य सूची तय करना।	पर्यटन, कला संस्कृति, खेल–कूद एवं युवा कार्य	26.02.2016
956–	टन–	57	श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन	खेल मैदान को बचाना।	पर्यटन, कला संस्कृति, खेल–कूद एवं युवा कार्य	26.02.2016
957–	उत–	51	श्री संजीव सिंह	उच्चस्तरीय जाँच कराना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	29.02.2016
958–	शि–	105	श्री दशरथ गागराई	अकादमी का पुर्नगठन।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	01.03.2016
959–	शि–	98	श्री नलिन सोरेन	अधिकारियो को दंडित करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	29.02.2016
960–	टन–	56	श्रीमती निर्मला देवी	स्टेडियम का निर्माण।	पर्यटन, कला संस्कृति, खेल–कूद एवं युवा कार्य	26.02.2016
961–	उ–	17	श्रीमती गंगोत्री कुजूर	उद्यमियों को प्राथमिकता देना।	उद्योग	15.02.2016
962–	उ–	15	श्री बिरंची नारायण	बजट में विशेष प्रावधान	उद्योग	11.02.2016
963–	टन–	45	श्री फूलचन्द मंडल	स्टेडियम का निर्माण।	पर्यटन, कला संस्कृति, खेल–कूद एवं युवा कार्य	24.02.2016
964–	वन–	36	श्री दुलू महतो	आग फैलाव को रोकना।	वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	29.02.2016
965–	शि–	68	श्री केदार हजरा	इंटर महाविद्यालय की स्थापना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	17.02.2016
966–	टन–	47	श्री पौलुस सुरीन	पर्यटन स्थल के रूप में विकास।	पर्यटन, कला संस्कृति, खेल–कूद एवं युवा कार्य	24.02.2016
967	वन–	10	श्री साधुचरण महतो	पदाधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई	वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	11.02.2016
968	उत–	23	डॉ0 इरफान अंसारी	शिक्षक प्रशिक्षण की पढ़ाई प्रारम्भ कराना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	11.02.2016
969–	वन–	18	श्री रामकुमार पाहन	क्रेशर को बंद कराना।	वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	11.02.2016
970–	उ–	23	श्री रामचन्द्र सहिस	नागरिक सुविधा उपलब्ध कराना।	उद्योग	24.02.2016
971–	शि–	84	प्रो0 जयप्रकाश वर्मा	अधूरे भवन को पूर्ण करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	20.02.2016

(कृ0 पृ0 उ0)

01.	02.	03.	04.	05.	06
972–	शि– 18	श्री योगेश्वर महतो	विद्यालय का निर्माण।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	08.02.2016
973–	उत– 47	श्री प्रकाश राम	बकाया राशि का भुगतान।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	29.02.2016
974–	वन– 34	श्रीमती निर्मला देवी	फैक्ट्री को बन्द करना।	वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	29.02.2016
975–	टन– 58	श्रीमती विमला प्रधान	स्टेडियम का निर्माण	पर्यटन, कला संस्कृति, खेल–कूद एवं युवा कार्य	29.02.2016
976–	शि– 55	श्रीमती गंगोत्री कुजूर	पदाधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	15.02.2016
977–	उ– 06	श्री साधुचरण महतो	पानी दूषित होने से बचाना।	उद्योग	11.02.2016
978–	टन– 36	श्री केदार हजरा	स्टेडियम का निर्माण।	पर्यटन, कला संस्कृति, खेल–कूद एवं युवा कार्य	17.02.2016
979–	टन– 46	श्रीमती विमला प्रधान	गांधी मेला को संरक्षित करना।	पर्यटन, कला संस्कृति, खेल–कूद एवं युवा कार्य	24.02.2016
980–	शि– 19	श्री योगेश्वर महतो	गरीब बच्चों का नामांकन	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	08.02.2016
981–	उ– 26	श्री मनीष जायसवाल	बकाया राशि का भुगतान।	उद्योग	24.02.2016
982–	शि– 99	श्री प्रकाश राम	नियमावली बनाना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	26.02.2016
983	उत– 41	श्री अमित कुमार	सहायक प्राध्यापक पद का सृजन।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	20.02.2016
984–	वन– 40	श्री विकास कुमार मुण्डा	हाथियों के उत्पात से मुक्त कराना।	वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	29.02.2016
985–	टन– 50	श्री दीपक बिरूवा	पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करना।	पर्यटन, कला संस्कृति, खेल–कूद एवं युवा कार्य	24.02.2016
986–	शि– 101	श्री बादल	पढ़ाई प्रारम्भ कराना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	26.02.2016
987–	शि– 21	श्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता	विद्यालय खोलना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	11.02.2016
988–	उ– 27	श्री शिव शंकर उराँव	अधिकारियों पर कार्रवाई।	उद्योग	26.02.2016
989–	शि– 97	श्री जयप्रकाश भाई पटेल	विद्यालयों को अनुदान।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	29.02.2016
990–	उत– 48	श्री दुलू महतो	कोयलांचल विश्वविद्यालय की स्थापना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	29.02.2016

(कृ०पृ०उ०)

01.	02.		03.	04.	05.	06
991–	शि–	106	श्री योगेन्द्र प्रसाद	विद्यालय प्रारम्भ करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	01.03.2016
992–	उत–	24	डॉ0 इरफान अंसारी	महिला डिग्री कॉलेज खोलना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	11.02.2016
993–	टन–	52	श्री नलिन सोरेन	प्रोफेशनल धनुष दिलाना।	पर्यटन, कला संस्कृति, खेल–कूद एवं युवा कार्य	26.02.2016
994–	टन–	39	श्री नारायण दास	स्टेडियम का निर्माण	पर्यटन, कला संस्कृति, खेल–कूद एवं युवा कार्य	18.02.2016
995–	वन–	24	श्री अनन्त कुमार ओझा	अतिक्रमण मुक्त कराना।	वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	15.02.2016
996–	शि–	47	श्री फूलचन्द मंडल	चाहरदिवारी का निर्माण।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	11.02.2016
997–	शि–	95	श्री नवीन जायसवाल	वेतनमान का निर्धारण।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	29.02.2016
998–	ख–	19	श्री चमरा लिण्डा	लीज देने का प्रावधान।	खान एवं भूतत्व	01.03.2016
999–	उत–	11	श्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता	शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र खोलना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	11.02.2016
1000–	शि–	79	श्री अमित कुमार	ग्राम शिक्षा समिति का गठन।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	20.02.2016
1001–	शि–	74	श्री सुखदेव भगत	प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	20.02.2016
1002–	टन–	51	श्री राज सिन्हा	स्टेडियम का जिर्णोद्धार।	पर्यटन, कला संस्कृति, खेल–कूद एवं युवा कार्य	26.02.2016
1003–	वन–	39	श्री राधाकृष्ण किशोर	कुप्रभाव का रोकथाम	वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	29.02.2016
1004–	उ–	18	श्री अनन्त कुमार ओझा	योजना का क्रियान्वयन	उद्योग	17.02.2016
1005–	शि–	102	श्री मनीष जायसवाल	स्कूल का जिर्णोद्धार।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	29.02.2016
1006–	शि–	104	श्री जयप्रकाश भाई पटेल	नामांकन हेतु आदेश देना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	29.02.2016
1007–	वन–	19	रामकुमार पाहन	कोयला भट्ठी को ध्वस्त करना।	वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	11.02.2016
1008–	उत–	46	श्री नागेन्द्र महतो	क्षेत्रीय भाषा विभाग की स्थापना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	29.02.2016

(कृ0 पृ0 उ0)

राँची,
दिनांक– 08 मार्च, 2016 (ई0)

बिनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या–प्रश्न– 04/2015–......2072....../वि0स0, रांची, दिनांक– 07/03/16

प्रतिः– झारखण्ड विधान–सभा के माननीय सदस्यगण/ मा0 मुख्यमंत्री/मा0 मंत्रिगण/ मा0 संसदीय कार्य मंत्री/मा0 नेता प्रतिपक्ष, झारखण्ड विधान सभा/मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

5/3/2016

(संजय कुमार)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या–प्रश्न– 04/2015–......2072....../वि0स0, रांची, दिनांक– 07/03/16

प्रतिः– मा0 अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय/अपर सचिव (प्रश्न)/संयुक्त सचिव (प्रश्न) झारखण्ड विधान सभा को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय/ प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

5/3/2016

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या–प्रश्न– 04/2015–......2072....../वि0स0, रांची, दिनांक–07/03/16

प्रतिः– कार्यवाही शाखा/ आश्वासन समिति शाखा एवं बेवसाईट शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

5/3/2016

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

04/03/16

सुभाष/–

(945)

462
04-03-2016.

श्री कुणाल षड़ंगी, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या –शि0–103

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि बहरागोड़ा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत खण्डामौदा, बहरागोड़ा में एक मात्र संस्कृत विद्यालय कार्तिकचन्द्र चतुष्पाटी संस्कृत प्राथमिक विद्यालय अविभाजित बिहार के समय से प्रतिष्ठित है तथा उसमें प्रधानाध्यापक एवं सहायक शिक्षक कार्यरत हैं,	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि सचिव, मानव संसाधन विभाग के पत्रांक 650/04.09.14 तथा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा सह संयुक्त सचिव मानव संसाधन विकास विभाग पत्रांक–441/22.03.13 द्वारा दिये गये दिशा निर्देश के बावजूद भी आज तक सचिव, झारखण्ड अधिविद्य परिषद् राँची (जैक) द्वारा इनकी नियुक्ति का अनुमोदन नहीं किया जा रहा है,	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार प्रधानाध्यापक एवं सहायक शिक्षकों को न्याय देने के लिए अध्यक्ष/सचिव, झारखण्ड अधिविद्य परिषद् राँची (जैक) को तत्काल इन नियुक्ति के अनुमोदन के लिए आदेश देना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	परिषद् को निदेशित किया गया है कि पूर्व के स्थापित प्रावधानों के आलोक में नियुक्ति के अनुमोदन के संदर्भ में नियमानुसार निर्णय लिया जाय।

4/3/16

सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखंड–सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–7/स.1वि.(i)–70/2016. 462 / दिनांक 04-03-2016

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/3/16

सरकार के संयुक्त सचिव।

946

श्री शिवशंकर उराँव, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–08.03.2016 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–वन–32 का उत्तर सामग्रीः–

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है, कि रामगढ़ के नवाडीह में वर्ष–2010–11 में माइनर फोरेस्ट प्रेडियूस (एमएफपी) स्कीम के तहत् 30 लाख रूपये के खैर के पौधे लगाए गए थे जो विभागीय लापरवाही के कारण नष्ट हो गए और इससे राजस्व की क्षति हुई,	आंशिक स्वीकारात्मक। वनरोपण प्रमंडल हजारीबाग द्वारा वर्ष 2010–11 में पौधारोपण कार्य रामगढ़ के नवाडीह पी0एफ0 में लघु वन पदार्थ का उन्नयन (खैर वृक्षारोपण) योजना अंतर्गत कुल 40 है0 में कराया गया था। मूलतः खैर वृक्षारोपण संबंधी कार्य पर कुल 12,88,260/– रु0 का व्यय हुआ है।
(2) क्या यह बात सही है, कि महालेखाकार ने 234.75 एकड़ जमीन पर लगे खैर के पौधे नष्ट होने और दोषियों पर कार्रवाई नहीं किए जाने के संबंध में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी है,	आंशिक स्वीकारात्मक। निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या–52/2015–16 में अंकेक्षण दल द्वारा Para-II में उपरोक्त खैर वृक्षारोपण (40 है0) के संदर्भ में टिप्पणी अंकित की गई है, जिसका उत्तर विधिवत् भेजा जा रहा है। मई, 2010 में राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि मनरेगा योजना के अंतर्गत अभिसरण (Convergance) करने हेतु वृक्षारोपण की चालु योजना के अंतर्गत सम्पोषण एवं सम्पोषण मनरेगा से कराया जाय। इस संबंध में विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–4/यो0ब0–16/2007–3358 दिनांक 09.05.2010 द्वारा तदनुरूप योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी। प्रश्नगत योजना में वित्तीय वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 में तृतीय एवं चतुर्थ सम्पोषण हेतु मनरेगा योजना के राशि प्राप्त नहीं होने के कारण सम्पोषण का कार्य नहीं हो सका। जिस कारण उत्तरजीविता पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। वर्तमान में उत्तरजीविता 15 प्रतिशत है।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार लापरवाही के दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कडिका में स्थिति स्पष्ट की गयी है।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/विधानसभा तारांकित प्रश्न –46/2016 1297 व0प0, राँची, दि0– 04/03/16

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–1656 दिनांक– 26.02.2016 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(सुनील कुमार)
सरकार के उप सचिव

947

श्री सुखदेव भगत, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक-08.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या उत-36

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि लोहरदगा में एक मात्र मधुसूदन लाल अग्रवाल महिला महाविद्यालय है, जहाँ स्नातक स्तर की पढ़ाई की मान्यता अभी तक नहीं मिली है, जिसके कारण लोहरदगा जिले के गरीब छात्राओं को स्नातक स्तर की पढ़ाई करने में परेशानी होती है ?	वस्तुस्थिति यह है कि लोहरदगा जिला मुख्यालय में बी०एस० कॉलेज लोहरदगा एक अंगीभूत महाविद्यालय है, जहाँ सह-शिक्षा की व्यवस्था है। मधुसूदन लाल अग्रवाल महिला महाविद्यालय लोहरदगा में स्नातक स्तर की पढ़ाई के लिए संबंधन हेतु किसी प्रकार का आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार लोहरदगा मधुसूदन लाल अग्रवाल महिला महाविद्यालय में स्नातक स्तर की पढ़ाई की मान्यता देना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उत्तर कंडिका-1 में सन्निहित है।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक 5/वि2-40/2015 606 /रांची दिनांक- 04/03/2016

प्रतिलिपि:-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक-1274 दिनांक-20.02.2016 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/03/2016

सरकार के अवर सचिव,
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
झारखण्ड, राँची।

(948)

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्री बिरंची नारायण, मा.स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या शि-22

क्रमांक	प्रश्न क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	उत्तर डॉ. नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य भर के सरकारी स्कूलों और शहरी क्षेत्र के निजी स्कूलों की अगर तुलना की जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है, कि शिक्षा का समान स्तर विधार्थियों को उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है जहाँ निजी स्कूलों मे अत्याधुनिक संचार माध्यमों जैसे स्मार्ट क्लास, इत्यादि की व्यवस्था है, वही ग्रामीण इलाकों मे इस तरह की आधुनिक शिक्षा पद्धति का घोर अभाव है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त कारण ग्रामीण सरकारी स्कूलों के विधार्थियों और शहरी क्षेत्र के प्राइवेट स्कूलों मे विधार्थियों के मध्य बौद्धिक स्तर मे काफी असमानता देखने को मिलती है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार विधार्थियों के समान शिक्षा पद्धति को सुनिश्चत करवाने के लिए राज्य भर के तमाम सरकारी स्कूलों में शहरी क्षेत्रों के प्राईवेट स्कूलों की तर्ज पर अत्याधुनिक संचार माध्यमों जैसे स्मार्ट क्लास, इत्यादि के द्वारा शिक्षा सुपिश्चित करवाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक , नहीं तो क्यों ?	प्रथम चरण मे 203 कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालयों मे स्मार्ट क्लास प्रारंभ किया गया है। अन्य विद्यालयों मे चरणबद्ध तरीके से स्मार्ट क्लास प्रारंभ करने की योजना है।

4/3/16

सरकार के संयुक्त सचिव

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक.......415......./ राँची, दिनांक.......................4/3/.2016

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 391, दिनांक 11.02.2016 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/3/16

सरकार के संयुक्त सचिव

949

श्री नारायण दास, स०वि०स० द्वारा दिनांक 08.03.2016 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या टन–38 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि देवघर जो बाबा वैद्यनाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध है, उन्हें सांस्कृतिक राजधानी का दर्जा दिया गया है;	1.	अस्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि देवघर जिलान्तर्गत दर्जनों पर्यटक एवं पौराणिक स्थल है, जिसका आजतक श्रद्धालुओं के सुविधा के दृष्टिकोण से सुदृढ़ एवं विकसित नहीं किया जा सका है ;		वस्तुस्थिति यह है कि – i. देवघर जिला अन्तर्गत काफी पर्यटक एवं पौराणिक स्थल है। ii. विभाग द्वारा देवघर जिला अन्तर्गत स्थलों यथा– बाबा बैद्यनाथ मंदिर, बुढ़ई पहाड़ मंदिर, पथरील मंदिर, त्रिकुट पहाड़, नंदन पहाड़, नौलखा मंदिर, शिवगंगा, शहीद स्मारक रोहणी, दामाकुण्डा शिव मंदिर, शिल्पग्राम, तपोवन, बाबा नागकथाम, हरलाजोड़ी मंदिर, अजयधाम के पर्यटकीय विकास सहित मधुपुर के समीप मार्गीय सुविधाओं का निर्माण, अजयबराज सिकटिया में टूरिस्ट कॉम्पलेक्स निर्माण, पुनासी–जीरो माईल में बहुद्देशीय भवन–सह–अतिथिशाला का निर्माण तथा जयू–कॉम्पलेक्स, देवघर हेतु आवंटन दिया गया है। iii. पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के संकल्प संख्या–1494, दिनांक–26.08.2015 के द्वारा राज्य के पर्यटन स्थलों को पर्यटन क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करने के प्रावधान सहित राज्य के पर्यटन स्थलों के वर्गीकरण के साथ पर्यटन स्थलों के विकास कार्य (नई योजनाएँ) हेतु प्राथमिकता क्रम का निर्धारण राज्य स्तरीय पर्यटन संवर्धन समिति तथा जिला स्तर पर जिलास्तरीय पर्यटन संवर्धन समिति द्वारा होना है। अतएव अन्य स्थलों के संबंध में जिलास्तरीय पर्यटन संवर्धन समिति से अनुशंसा एवं प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही अग्रेतर समुचित कार्रवाई संभव है।
3.	क्या यह बात सही है कि सभी पर्यटक एवं पौराणिक स्थल पर आधारभूत संरचना यथा पानी, बिजली एवं यात्रियों को ठहरने हेतु सुरक्षित एवं उचित व्यवस्था आजतक मुहैया नहीं कराया जा सका है, जिससे पर्यटक एवं श्रद्धालुओं को कठिनाईयाँ होती है ;	3.	
4.	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जिलान्तर्गत सभी पर्यटक एवं पौराणिक स्थलों पर आधारभूत संरचना स्थापित कर श्रद्धालुओं को सुविधा दिलाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	4.	उपर्युक्त कंडिकाओं में उत्तर सन्निहित है।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग,
(पर्यटन प्रभाग)

ज्ञापांक–पर्यटन / वि०सं० / 30 / 2016 503 / राँची, दिनांक 07.03.2016 /

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–1218 / वि०स०, दिनांक–18 / 02 / 2016 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7/3/16

सरकार के अवर सचिव
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग,

950

श्री नागेन्द्र महतो, स०वि०स० द्वारा दिनांक 08.03.2016 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या टन–48 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है, कि गिरिडीह जिलान्तर्गत बिरनी प्रखण्ड मुख्यालय से 5 कि०मी० दूरी पर स्थित माँ डबरसिनी पहाड़ में प्राचीन अपरूपी माँ का शक्तिपीठ विद्यमान है, जहाँ हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन आते है, जिसके चारों ओर खुबसूरत प्राकृतिक सौन्दर्य मौजूद है ;	1.	वस्तुस्थिति यह है कि – i. गिरिडीह जिलान्तर्गत बिरनी प्रखण्ड मुख्यालय से 05 (पाँच) किलोमीटर की दूरी पर माँ डबरसिनी पहाड़ अवस्थित है, जिसमे आपरूपी माँ का शक्तिपीठ विद्यमान है। ii. प्रश्नाधीन स्थल पर स्थानीय एवं दूर–दराज के श्रद्धालु दर्शन हेतु आते हैं। iii. शक्तिपीठ पूजा स्थल के अलावे चारों तरफ पहाड़ की श्रृंखला है। iv. उक्त शक्तिपीठ तक पहुँचने के लिए पक्की सड़क डबरसैनी मोड़ से महथाडीह पथ 500 (पाँच सौ) मीटर पश्चिम पर अवस्थित है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित पहाड़ को पर्यटन स्थल घोषित कर विकसित करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	2.	पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के संकल्प संख्या–1494, दिनांक–26.08.2015 के द्वारा राज्य के पर्यटन स्थलों को पर्यटन क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करने के प्रावधान सहित राज्य के पर्यटन स्थलों के वर्गीकरण के साथ पर्यटन स्थलों के विकास कार्य (नई योजनाएँ) हेतु प्राथमिकता क्रम का निर्धारण राज्य स्तरीय पर्यटन संवर्धन समिति तथा जिला स्तर पर जिलास्तरीय पर्यटन संवर्धन समिति द्वारा होना है। अतएव प्रश्नाधीन स्थल के संबंध में जिलास्तरीय पर्यटन संवर्धन समिति से अनुशंसा एवं प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही अग्रेतर समुचित कार्रवाई संभव है।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग,
(पर्यटन प्रभाग)

ज्ञापांक–पर्यटन / वि०स० / 37 / 2016 502 / राँची, दिनांक 05.03.2016 /

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनकी ज्ञाप संख्या–1439 / वि०स०, दिनांक–24 / 02 / 2016 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/3/16

सरकार के अवर सचिव
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग,

श्री अरूप चटर्जी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–08.03.2016 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–वन–26 का उत्तर सामग्रीः–

(951)

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि धनबाद जिलान्तर्गत पंचेत डैम निवासी मुबारक अंसारी ने इस क्षेत्र में अपने सीमित संसाधनों से एक इकोलॉजिकल पार्क बना रखा है;	अस्वीकारात्मक।
(2) क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला तथा जिला से सेट पश्चिम बंगाल राज्य के सीमांचल क्षेत्रों में भी "स्नेक सेवर" के नाम से मुबारक अंसारी एक जाना–पहचाना नाम है;	आंशिक स्वीकारात्मक। मुबारक अंसारी द्वारा धनबाद जिला एवं इससे सटे जिले में ग्रामीणों की सूचना पर सांप पकड़ने का कार्य किया जाता है। सांप पकड़ने की आड़ में वन अपराध की संलिप्ता की शिकायत पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त होने पर दिनांक–25.04.2015 को उनके घर/दुकान से साँपों की जप्ती हुई तथा इनके विरूद्ध वन मुकदमा दर्ज किया गया है, जो न्यायालय में लम्बित है।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलम्ब धनबाद जिला के मैथन या पंचेत डैम क्षेत्र में मुबारक अंसारी को एक "स्नेक पार्क" बनाने सम्बन्धी समुचित सहयोग देने का विचार रखती है हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	1. भगवान बिरसा जैविक उद्यान ओरमाझी, रांची में snake arboretum (सांप घर) पूर्व से स्थापित है जिसमें विभिन्न प्रजाति के सांपों को रखा जा रहा है। इसलिए कोई नया साप घर स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। 2. श्री मुबारक अंसारी अगर स्वयं अपने खर्च पर सांप घर स्थापित करना चाहते हैं तो सक्षम प्राधिकार, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली को आवेदन समर्पित कर सकते है। इस कार्य के लिए अनुदान देने की सरकार की कोई योजना नही है।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
ज्ञापांक–5/विधानसभा तारांकित प्रश्न –32/2016– 1298 व0प0, राँची, दि०– 04/03/16

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–1009 दिनांक–17.02.2016 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

4/3/16
(सुनील कुमार)
सरकार के उप सचिव

952

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा के पंचम (बजट) सत्र में दिनांक 08.03.2016 को श्री डॉ जीतूचरण राम, स0वि0स0 द्वारा पूछा जाने वाला तारांकित उत–53 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि राँची जिला के कोंके विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत बुढ़मू एवं खलारी प्रखण्ड में एक भी पोलिटेकनिक महाविद्यालय नहीं है, जिसके कारण इस क्षेत्र के आदिवासी, दलित एवं पिछड़ी जाति के छात्र–छात्राऐं इस पढ़ाई से वंचित रह जाते है;	– अंशतः स्वीकारात्मक
2. क्या यह बात सही है कि इन क्षेत्रों के छात्र–छात्राऐं जंगली एवं उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र से आने के चलते स्वाभाव से संकुचित रहते है, तथा शहरी क्षेत्रों में जा नही पाते है ;	– अस्वीकारात्मक
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कोंके विधान सभा क्षेत्र के बुढ़मू एवं खलारी प्रखण्ड में एक पोलिटेकनिक महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक, नही तो क्यों ?	– राँची जिलान्तर्गत सरकारी क्षेत्र में राजकीय पोलिटेकनिक राँची एवं राजकीय महिला पोलिटेकनिक राँची संचालित है। इसके अलावे निजी क्षेत्र में 7 अन्य पोलिटेकनिक संचालित है जिसमें राँची जिला तथा पूरे झारखण्ड राज्य के विद्यार्थियों का चयन होकर पठन–पाठन कार्य होता है। कोंके विधान सभा क्षेत्र के बुढ़मू एवं खलारी प्रखण्ड में पोलिटेकनिक महाविद्यालय खोलने का कोई निर्णय नहीं है।

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची

ज्ञापांक–01 उ0त0/वि0स0–23/16 545 / राँची, दिनांक– 04.03.2016

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 1868 दिनांक 01.03.2016 के आलोक में 200 प्रतियों के साथ झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

04/03/2016

(रविन्द्र कुमार सिंह)
सरकार के अवर सचिव

953

श्री राजकुमार यादव, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–08.03.2016 को पूछाजानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–उ0–28 की उत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्न	उत्तर सामग्री
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि सरकार के विशेष सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, सरकार पटना के पत्रांक संख्या–1803, दिनांक–26.07.1993 एवं पत्रांक–17327, दिनांक–12.10.1979 द्वारा निर्देश था कि बोकारो इस्पात संयंत्र में चतुर्थ वर्ग के पद विस्थापितों के लिए सुरक्षित रहेगा;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि बोकारो इस्पात संयंत्र के प्रबंधन द्वारा वर्ष 2003 तक विस्थापितों को खलासी के पद पर नियोजन दिया जाता था, परन्तु बाद में न्यायालय के आदेश का आधार बना कर चतुर्थ वर्ग के विस्थापितों को एकाधिकार समाप्त कर सिर्फ प्राथमिकता दी जा रही है;	स्वीकारात्मक। बी0एस0एल0 प्रबंधन द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के वाद संख्या–1774/2008 में पारित आदेश दिनांक–05.03.2008 का हवाला देते हुए विस्थापितों के आरक्षित पदों को समाप्त कर सामान्य प्रक्रिया के तहत बहाली की जा रही है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित तथ्यों पर पुनः बी0एस0एल0 के विस्थापितों के लिए चतुर्थ वर्ग के पद सुरक्षित रखने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	बी0एस0एल0 भारत सरकार का एक लोक उपक्रम है। बी0एस0एल0 प्रबंधन द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के वाद संख्या–1774/2008 में पारित आदेश दिनांक–05.03.2008 का हवाला देते हुए विस्थापितों के आरक्षित पदों को समाप्त कर सामान्य प्रक्रिया के तहत बहाली की जा रही है।

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक 488 /रांची, दिनांक 05.03.16 /
01/विधानसभा–04–39/2016 उ0वि0

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या–1872 वि0स0, दिनांक–01.03.2016 के आलोक में 250 (दो सौ पचास) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

(954)

श्री अरूप चटर्जी, मा० स०वि०स० द्वारा चलते अधिवेशन में दिनांक 08.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं० टन–44 का उत्तर–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तर दाता
श्री अरूप चटर्जी, माननीय सदस्य विधान सभा	*श्री अमर कुमार बाउरी माननीय मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।*

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि राज्य में नेशनल गेम्स आयोजन प्रयोजनार्थ वर्ष 2010 में धनबाद जिलान्तर्गत मैथन डैम क्षेत्र में एक खेल छात्रावास का निर्माण करवाया गया था, जो विगत 05 वर्षों से रख–रखाव के अभाव में अत्यन्त जर्जर हो चुका है;	आंशिक स्वीकारात्मक है। उपायुक्त, धनबाद के प्रतिवेदनानुसार छात्रावास की स्थिति अत्यन्त जर्जर नहीं है परन्तु मरम्मति की आवश्यकता है।
2	क्या यह बात सही है, कि सरकार यदि उक्त छात्रावास को पी०पी० मोड में संचालित करे तो इससे रोजगार के साथ सरकार को राजस्व भी प्राप्त होगा;	स्वीकारात्मक है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त विषय पर अविलम्ब कार्रवाई का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उक्त छात्रावास को संचालित करने हेतु झारखण्ड खेल प्राधिकरण द्वारा Open Bidding की गई थी, परन्तु इस हेतु किसी भी Bidder के द्वारा रुचि अभिव्यक्त नहीं की गयी। विभाग अपने स्तर से इसे पुनर्विचार कर चालू कराने की कार्रवाई करेगी।

झारखण्ड सरकार
<u>पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग</u>

ज्ञापांक : 1/विधायी–08– 84/16/क 209/ राँची, दिनांक 5.3.16

प्रतिलिपि: उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं० 1443/वि०स० दिनांक 24.02.2016 के प्रसंग में 250 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5.3.16
(विनय कुमार राय)
सरकार के संयुक्त सचिव
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग
झारखण्ड, राँची।

955

श्री कुणाल षड़ंगी, स०वि०स० द्वारा दिनांक 08.03.2016 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या टन–55 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि बहरागोड़ा विधान सभा क्षेत्र में चित्रेश्वर श्यामसुन्दरपुर गुहिआपाल, गोटशिला, कोनोईसोल, शिवई एवं जालधोरा थाना अष्टभूमि मंदिर (जामसोला) प्रभिति क्षेत्र में पर्यटन विकास की अपार संभावना है ;	1.	स्वीकारात्मक ;
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इस विषय को गंभीरता से लेते हुए इस क्षेत्र में आधारभूत संरचना के विकास के लिए कोई समयबद्ध कार्यसूची तय करेगी, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	2.	वस्तुस्थिति यह है कि– i. प्रश्नाधीन स्थलों मे से चित्रेश्वर मंदिर (बहरागोड़ा) एवं गोटाशिला के समीप टॉयलेट ब्लॉक, कँभर्ड स्टेज, जलापूर्ति एवं सोलर लाईट सहित सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वर्तमान में योजना विचाराधीन है। ii. पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के संकल्प संख्या–1494, दिनांक–26.08.2015 के द्वारा राज्य के पर्यटन स्थलों को पर्यटन क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करने के प्रावधान सहित राज्य के पर्यटन स्थलों के वर्गीकरण के साथ पर्यटन स्थलों के विकास कार्य (नई योजनाएँ) हेतु प्राथमिकता क्रम का निर्धारण राज्य स्तरीय पर्यटन संवर्धन समिति तथा जिला स्तर पर जिलास्तरीय पर्यटन संवर्धन समिति द्वारा होना है। अतएव अन्य प्रश्नाधीन स्थलों के संबंध में जिलास्तरीय पर्यटन संवर्धन समिति से अनुशंसा एवं प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही अग्रेतर समुचित कार्रवाई संभव है।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग,
(पर्यटन प्रभाग)

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/40/2016 505 /राँची, दिनांक 07.03.2016 /

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–1662/वि०स०, दिनांक–26/02/2016 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7/3/16

सरकार के अवर सचिव
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग,

956

श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन, मा० स०वि०स० द्वारा चलते अधिवेशन में दिनांक 08.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं० टन–57 का उत्तर–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तर दाता
श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन, माननीय सदस्य विधान सभा	*श्री अमर कुमार बाउरी माननीय मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।*

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राँची जिला के खेलारी प्रखण्ड अंतर्गत मैक्लुस्कीगंज स्थित ऐतिहासिक खेल मैदान को भू–माफियाओं के द्वारा कब्जा करने की साजिश की जा रही है;	अस्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि आजादी के पूर्व से मैक्लुस्कीगंज क्षेत्र के सभी विद्यालयों तथा उस क्षेत्र के सभी खेल संबंधित कार्यक्रम इसी मैदान में होता रहा है एवं पूर्व में खिलाड़ियों को सामान रखने के लिए सामुदायिक भवन काफी पूर्व बना है;	स्वीकारात्मक है।
3	क्या यह बात सही है कि आजादी के पूर्व से ही इस मैदान में खेल तथा अन्य सामाजिक कार्यक्रम होते रहे है एवं इस मैदान पर आज तक किसी ने दावेदारी नहीं किया है;	स्वीकारात्मक है।
4.	क्या यह बात सही है कि मध्य विद्यालय लपारा इसी मैदान के पश्चिम में स्थित है;	स्वीकारात्मक है।
5.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त ऐतिहासिक खेल मैदान को भू–माफियाओं एवं दबंगों से बचाना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?	उप विकास आयुक्त, राँची के प्रतिवेदनानुसार स्थानीय जाँच में उक्त भूमि खेल मैदान के रूप में पायी गयी है एवं ग्रामीणों द्वारा भी पुष्टि की गई है। मौजा: लपारा, खाता सं०–87, प्लॉट सं०– 1055, रकबा–51 डिसिमल भूमि के चल रही जमाबंदी की जाँच जिला प्रशासन, राँची द्वारा की जा रही है।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : 1/विधायी–08– 81/16/क 205 / राँची, दिनांक 5.3.16

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं० 1660/वि०स० दिनांक 26.02.2016 के प्रसंग में 250 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5.3.16
(विनय कुमार राय)
सरकार के संयुक्त सचिव
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग
झारखण्ड, राँची।

957

श्री संजीव सिंह, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक-08.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या उत-51

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिलान्तर्गत बी0एस0के0 कॉलेज, मैथन विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग द्वारा अंगीभूत महाविद्यालय है, जहाँ हजारों छात्र-छात्राएँ पढ़ाई करते हैं?	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि है कि महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय के 110 छात्र-छात्राओं को पार्ट-1 की परीक्षा देने से वंचित कर दिया गया है?	आंशिक स्वीकारात्मक है। महाविद्यालय द्वारा दो बार आयोजित Mid-Semester की परीक्षा में एक बार भी शामिल नहीं होने के कारण नियमानुसार पार्ट-1 की 1st Semester के 107 छात्र-छात्राओं को परीक्षा से वंचित किया गया है।
3.	क्या यह बात सही है कि खण्ड(1) में वर्णित महाविद्यालय में आधारभूत संरचना के साथ-साथ प्राचार्य, शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मी के अभाव के कारण आए दिन छात्रहित को ध्यान में न रखकर महाविद्यालय को प्रबंधन द्वारा मनमाना पूर्ण रवैया से संचालित किया जाता है?	उत्तर स्वीकारात्मक है
4.	क्या यह बात सही है कि कुछ दिनों पूर्व महाविद्यालय में आधारभूत संरचना स्थापित करने हेतु यू0जी0सी0 द्वारा राशि मुहैया कराया गया था?	उत्तर स्वीकारात्मक है
5.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड (1) में वर्णित महाविद्यालय प्रबंधन की वित्तीय एवं अन्य अनियमितता की उच्चस्तरीय जाँच कराकर छात्रों को उचित न्याय दिलाने का विचार रखती है हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उत्तर उपर्युक्त कंडिकाओं में सन्निहित है।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक 5/वि2-53/2016.603 रांची दिनांक-04/03/2016.

प्रतिलिपि:-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक-1725 दिनांक-29.02.2016 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/03/2016

सरकार के अवर सचिव,
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

459

श्री नलिन सोरेन, मा.स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या शि.- 98

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	डॉ. नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि संथाल परगना प्रमण्डल में झारखण्ड शिक्षा परियोजना के तहत तकरीबन सभी जिले में सरकारी राशि दी गयी है;	स्वीकारात्मक ।
2.	क्या यह बात सही है कि विगत वित्तीय वर्ष 2013-14 व 2014-15 से छः जिलों ने कुल मिलाकर लगभग 83.91 करोड़ रुपये विभिन्न मद में एडवांस लिया है तथा आजतक खर्च का ब्योरा और न ही एडवांस का समायोजन किया गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक ।
3.	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज में सार्वाधिक राशि 22.91 करोड़ तथा राज्य भर में 375 करोड़ का हिसाब नहीं दिया गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक ।
4.	यदि उपर्युक्त के खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इस वित्तीय घोटाले की जाँच निगरानी से कराकर दोषी अधिकारियों को दंडित कर कारवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक , नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि अग्रिम की राशि विभिन्न गतिविधियों के लिये है। अग्रिम के समायोजन हेतु जिला के उपायुक्तों एवं शिक्षा अधीक्षकों को निदेश दिया गया है।

4/3/16
सरकार के संयुक्त सचिव

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 424 / राँची, दिनांक 4/3/2016

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 1858, दिनांक 29.02.2016 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/3/16
सरकार के संयुक्त सचिव

(960)

श्रीमती निर्मला देवी, मा० स०वि०स० द्वारा चलते अधिवेशन में दिनांक 08.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं० टन–56 का उत्तर:–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तर दाता
श्रीमती निर्मला देवी, मा० सदस्य विधान सभा	*श्री अमर कुमार बाउरी माननीय मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।*

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि हजारीबाग जिलान्तर्गत प्रखण्ड बड़कागाँव पंचायत+ ग्राम नापोखूर्द में स्टेडियम निर्माण नहीं होने से खिलाड़ियों को काफी कठिनाई हो रही है;	आंशिक स्वीकारात्मक है। हजारीबाग जिलान्तर्गत बड़कागाँव प्रखण्ड के अंतर्गत प्रखण्ड स्तरीय स्टेडियम निर्माण हेतु राशि का आवंटन विभागीय आवंटनादेश सं० 46/आ० दिनांक 13.03.2015 द्वारा कर दिया गया है। उप विकास आयुक्त के प्रतिवेदनानुसार स्टेडियम निर्माणाधीन है।
2	क्या यह बाह सही है, कि खिलाड़ियों को 40 कि०मी० दूरी तय कर हजारीबाग स्टेडियम में खेलने के लिए आना पड़ता है तथा खिलाड़ियों का विकास नहीं हो पा रहा है;	स्वीकारात्मक है। बड़कागाँव में प्रखण्ड स्तरीय स्टेडियम निर्माण हो जाने से खिलाड़ियों की समस्या समाप्त हो जायगी।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार नापोखूर्द में स्टेडियम निर्माण का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	झारखण्ड राज्य में विभाग द्वारा सभी प्रखण्डों में स्टेडियम निर्माण नहीं हो पाया है। सभी प्रखण्डों में स्टेडियम निर्माण होने के पश्चात ही पंचायत तथा ग्राम स्तर पर स्टेडियम निर्माण हेतु विचार किया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : 1/विधायी–08– 82/16/क 207/ राँची, दिनांक 5.3.16

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं० 1661/वि०स० दिनांक 26.02.2016 के प्रसंग में 250 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5.3.16

(विनय कुमार राय)
सरकार के संयुक्त सचिव
पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग
झारखण्ड, राँची।

(961)

श्रीमती गंगोत्री कुजूर, माननीया स0वि0स0 द्वारा दिनांक–08.03.2016 को पूछाजानेवाला प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–उ0–17 की उत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्न	उत्तर सामग्री
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में सरकारी कार्यों एवं खरीद में स्थानीय उद्यमियों को प्राथमिकता देने की कोई नीति अब तक नहीं बनायी गयी है, जिससे स्थानीय उद्यमियों को विकास से वंचित होना पड़ रही है।	अस्वीकारात्मक, सरकार के द्वारा Jharkhand Procurement Policy 2014 अधिसूचित है, जिसके तहत राज्य अवस्थित एम0एस0ई0 इकाईयों को प्राथमिकता दिए जाने का प्रावधान है।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त कारणों से सर्विस टैक्स तथा वैट का नुकसान हो रहा है।	वाणिज्यकर विभाग के पत्रांक 760, दिनांक 26.02.2016 के द्वारा सूचित किया गया है कि Procurement Policy 2014 के कंडिका 10.3 में अंकित **प्राप्त निविदा के मूल्यांकन के लिए तुलनात्मक विवरणी तैयार करते समय झारखण्ड राज्य में भुगतेय VAT को निवेदित मूल्य अथवा बिक्री मूल्य में शामिल नहीं किया जाएगा, परन्तु झारखण्ड राज्य से बाहर भुगतेय किसी भी कर को निवेदित मूल्य एवं बिक्री मूल्य में उन दरों की तुलना हेतु शामिल किया जाएगा।** प्रावधान से स्थानीय उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, राज्य के बाहर की इकाई से समान क्रय पर वैट का नुकसान संभावित है। राज्य के उद्यमियों को प्रोत्साहित किए जाने हेतु झारखण्ड Procurement Policy 2014 की कंडिका 10.2 में प्रावधान है राज्य सरकार के विभागों एवं सरकार के नियंत्रणाधीन सहायता प्राप्त अभिकरणों द्वारा कंडिका–10.1 में यथा उल्लिखित सूक्ष्म, लघु उद्यमों के उत्पादों एवं सेवाओं के वार्षिक क्रय का न्यूनतम 20 प्रतिशत प्रापण(प्रोक्योरमेन्ट) खुली निविदा के माध्यम से किया जाएगा, बशर्ते सूक्ष्म, लघु उद्यम न्यूनतम मूल्य पर आपूर्ति के लिए तैयार हो।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इस संबंध में समुचित कदम उठाना चाहती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों?	उपरोक्त कंडिकाओं के आलोक में कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक 494 /रांची, दिनांक 05.03.16/
01/विधानसभा–04–23/2016 उ0वि0

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या–825 वि0स0, दिनांक–15.02.2016 के आलोक में 250 (दो सौ पचास) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

श्री बिरंची नारायण,स0वि0स0 द्वारा दिनांक–08.03.2016 को पूछाजानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–उ0–15 की उत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्न	उत्तर सामग्री
1	क्या यह बात सही है कि भारत सरकार द्वारा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट अप योजना प्रारम्भ की गयी है, जिसके अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देने तथा कानूनी सुधार की आवश्यकता है।	स्वीकारात्मक
2	क्या यह बात सही है कि उक्त योजना का लाभ राज्य के उद्‌मियों को देने के लिये राज्य सरकार द्वारा बजट में विशेष प्रावधान किये जा रहे है।	स्वीकारात्मक
3	क्या यह बात सही है कि उक्त योजना का व्यापक लाभ देने हेतु उद्योग नीति तथा संबंधित कानूनों में बदलाव लाये जा रहे है।	स्वीकारात्मक नव घोषित झारखण्ड औद्योगिक एवं पूँजीनिवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के **कंडिका–6.3** में प्रावधानित है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलम्ब उक्त संबंध में उठाये जा रहे कदमों की घोषणा करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	उपरोक्त कंडिकाओं के उत्तर के आलोक में झारखण्ड औद्योगिक एवं पूँजीनिवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के अनुसार कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक 424 /रॉंची, दिनांक 29.02.16
01/विधानसभा–04–21/2016 उ0वि0

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय का उनके ज्ञाप संख्या–491 वि0स0, दिनांक–11.02.2016 के आलोक में 250 (दो सौ पचास) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

963

श्री फूलचन्द मण्डल, मा० स०वि०स० द्वारा चलते अधिवेशन में दिनांक 08.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं० टन–45 का उत्तर–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तर दाता
श्री फूलचन्द मण्डल, माननीय सदस्य विधान सभा	*श्री अमर कुमार बाउरी माननीय मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।*

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि धनबाद जिला के बलियापुर प्रखण्ड में एक भी स्टेडियम नहीं है;	स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बाह सही है, कि बलियापुर +2 उच्च विद्यालय मैदान में स्टेडियम निर्माण हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध है;	स्वीकारात्मक है। उप विकास आयुक्त के प्रतिवेदनानुसार +2 उच्च विद्यालय मे लगभग 7.00 एकड़ भूमि विद्यालय के नाम है जिसमें 2 (दो) एकड़ में विद्यालय वर्गकक्ष आदि निर्मित है, शेष लगभग 5 (पाँच) एकड़ भूमि छात्रों के खेल के मैदान के रूप में उपयोग होता है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बलियापुर में स्टेडियम का निर्माण करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वित्तीय वर्ष 2015–16 में इस मद में राशि अवशेष नहीं है। आगामी वित्तीय वर्ष में इस हेतु वित्तीय प्रावधान के अनुरूप नियमानुकूल कार्रवाई की जायगी।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : 1/विधायी–08– 85/16/क 210 / राँची, दिनांक 5.3.16

प्रतिलिपि: उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं० 1442/वि०स० दिनांक 24.02.2016 के प्रसंग में 250 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5.3.16
(विनय कुमार राय)
सरकार के संयुक्त सचिव
पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग
झारखण्ड, राँची।

964

श्री ढुलु महतो, स०वि०स० द्वारा दिनांक–08.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–वन–36

क्या मंत्री,
खान एवं भूतत्व विभाग
यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

माननीय मंत्री:–

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है, कि धनबाद जिलान्तर्गत महुदा क्षेत्र के कोलियरी इलाके में भूमिगत आग लगी हुई है ;	उत्तर अस्वीकारात्मक है। सर्वश्री बी०सी०सी०एल० से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार धनबाद जिला अन्तर्गत महुदा क्षेत्र के कोलियरी इलाके में भूमिगत आग नहीं लगी हुई है।
2.	क्या यह बात भी सही है, कि इस भूमिगत आग का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे खदान के आस–पास के इलाके के धूल–धुआँ प्रदुषण बढ़ता जा रहा है एवं आग से क्षेत्र का अस्तित्व पर भी खतरा उत्पन्न हो गया है;	उत्तर अस्वीकारात्मक है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त भूमिगत आग के फैलाव को रोकने हेतु कार्रवाई का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग
(खान एवं भूतत्व प्रभाग)

ज्ञापांक:–वि०स०(ता0)–34 / 2016 313 /एम०, राँची दिनांक– 7.3.16

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र०–1861 दिनांक–29.02.2016 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

(965)

460
04-03-2016

श्री केदार हजरा, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या –शि0–68

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि जमुआ विधान सभा क्षेत्र के देवरी प्रखण्ड मुख्यालय में इंटर महाविद्यालय नहीं है,	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। यद्यपि देवरी प्रखण्ड मुख्यालय में +2 विद्यालय नहीं है, तथापि देवरी प्रखण्ड में ही रामनाथ +2 विद्यालय, रामपुर, धोरंजी वर्ष 2008 से संचालित है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड (1) में उधृत प्रखण्ड मुख्यालय में इंटर महाविद्यालय की स्थापना होने से क्षेत्र में उच्च शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा,	वर्ष 2007–08 में प्रत्येक प्रखण्ड में एक +2 विद्यालय की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु ही 171 विद्यालयों को +2 विद्यालय में उत्क्रमित किया गया है तथा इन 171 विद्यालयों में देवरी प्रखण्ड का भी रामनाथ +2 विद्यालय, रामपुर, धोरंजी शामिल है।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड (1) में वर्णित प्रखण्ड मुख्यालय में इंटर महाविद्यालय की स्थापना करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	राज्य सरकार द्वारा 7–8 किलोमीटर की परिधि में उच्च विद्यालय की सुविधा उपलब्ध कराने की नीति निर्धारित की गयी है तथा इस नीति के तहत् +2 विद्यालय की सुविधा चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

4/3/16

सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखंड–सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–7/स.1वि.(i)–45/2016 460 / दिनांक 04-03-2016

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/3/16

सरकार के संयुक्त सचिव।

966

श्री पौलुस सुरीन, स०वि०स० द्वारा दिनांक 08.03.2016 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या टन–47 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है, कि झारखण्ड राज्य के राँची जिलान्तर्गत कांके प्रखण्ड के पिठोरिया सुतीयाम्बे गढ़ महाराज सुतीया मुण्डा का किला था ;	1.	राँची जिलान्तर्गत कांके प्रखण्ड के सुतियाम्बे महाराजा सुतिया मुण्डा का किला था।
2.	क्या यह बात सही है, कि किला, मुण्डा समाज का पौराणिक ऐतिहासिक धरोहर स्थल है, जिसका धार्मिक अतिक्रमण किया जा रहा है ;	2.	वस्तुस्थिति यह है कि – i. प्रश्नाधीन किला मुण्डा समाज का पौराणिक ऐतिहासिक धरोहर है। मुण्डा समाज के लोग यहाँ परम्परागत् ढंग से पूजा–पाठ करते हैं। ii. अन्य धर्मों के लोगों के द्वारा उक्त पौराणिक पूजा स्थल का अतिक्रमण नहीं किया गया है। iii. पूजा स्थल के बाहर के जमीन का अतिक्रमण होने संबंधी मामला प्रकाश में आया है।
3.	यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इसे पौराणिक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	3.	राँची जिला के पिठोरिया स्थित सुतियाम्बे का सम्पूर्ण पर्यटकीय विकास हेतु विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में रू० 4,94,36,300.00 (चार करोड़ चौरान्बे लाख छत्तीस हजार तीन सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए निदेशक, पर्यटन निदेशालय, झारखण्ड, राँची को रू० 1,97,70,000.00 (एक करोड़ सन्तान्बे लाख सत्तर हजार रूपये) मात्र आवंटित की गई है।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग,
(पर्यटन प्रभाग)

ज्ञापांक–पर्यटन / वि०स० / 36 / 2016 504 / राँची, दिनांक 07.03.2016 /

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–1440 / वि०स०, दिनांक–24 / 02 / 2016 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7/3/16

सरकार के अवर सचिव
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग,

969

श्री रामकुमार पाहन, माननीय स० वि० स० द्वारा दिनांक 08.03.2016 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–वन–18 का प्रश्नोत्तर

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत ओरमांझी प्रखण्ड के ग्राम–कुच्चू और ग्राम गुंजा के बीच क्लासीक क्रेशर प्लांट स्थित है;	आंशिक स्वीकारात्मक । क्लासिक क्रशर के नाम से कोई क्रशर प्लांट स्थापित नहीं है, किन्तु मौजा–गुंजा में मेसर्स दिलीप कुमार सिंह के नाम से दो ऑटोमेटिक क्रशर प्लांट एवं 2 मोबाईल क्रशर प्लान्ट स्थापित हैं। इसी परिवार में क्लासिक कोल कन्सट्रक्शन (प्रा0) लि0 द्वारा Ready Mix Concrete Plant स्थापित है जिसके लिये पर्षद से स्थापना सहमति (CTE) एवं संचालन सहमति (CTO) प्राप्त नहीं की गई है।
(2) क्या यह बात सही है कि उक्त क्रेशर द्वारा उक्त क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण तथा ध्वनित प्रदूषण फैलाया जा रहा है, जिससे क्षेत्र के लोगों को परेशानी हो रही है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
(3) यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उक्त क्रेशर को बंद कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	दोनों इकाईयों के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई हेतु पर्षद पत्रांक– क्रमशः -B-587 एवं –B-588 दिनांक–25.02.2016 द्वारा कारण पृच्छा की गई है।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/विधानसभा तारांकित प्रश्न सं०–36/2016– 1303 व0प0, राँची, दि०– 4/03/16

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–498, दिनांक–11.02.2016 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (ससदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, राची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

4/3/16

(सुनील कुमार)
सरकार के उप सचिव

(970)

श्री रामचन्द्र सहिस, माननीय स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक–08.03.2016 को पूछाजानेवाला प्राप्त तारांकित प्रश्न सख्या–उ0–23 की उत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्न	उत्तर सामग्री
1	क्या यह बात सही है, कि कम्पनी अधिनियम के तहत अपने क्षेत्राधिकार में आनेवाला बस्ती, मुहल्ला में नागरिक सुविधा उपलब्ध कराना अनिवार्य है।	अस्वीकारात्मक कम्पनी एक्ट 2013 के अनुसूची VII में CSR के अन्तर्गत किए जा सकने वालों गतिविधियों का विवरण दिया गया है। जिसमें नागरिक सुविधा का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि टाटा पावर, लाफार्ज, एस0एस0डब्ल्यु0 कम्पनी द्वारा नागरिक सुविधा उपलब्ध नहीं कराते है।	टाटा पावर (जोजोबेड़ा प्लान्ट) एवं लाफार्ज कम्पनियों द्वारा CSR के तहत स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यावरण एवं सामुदायिक विकास इत्यादि के क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियाँ संचालित की जा रही है।
3	क्या यह बात सही है कि छोटागोबिन्दपुर, गघड़ा, राहरगोड़ा बारिगोड़ा कालीमाटी, सरजामदा क्षेत्र में साफ–सफाई नहीं होने के कारण वहाँ के आम जनता नारकीय जीवन–यापन करने पर मजबूर है।	संबंधित सभी क्षेत्र ग्राम पंचायत के अधीन है जहाँ साफ सफाई का कार्य उनके अधीन है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकरात्मक है, तो क्या कम्पनियों के माध्यम से सरकार नागरिक सुविधा उपलब्ध कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों?	टाटा पावर (जोजोबेड़ा प्लान्ट) एवं लाफार्ज कम्पनियों द्वारा CSR के तहत स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि पर्यावरण एवं सामुदायिक विकास इत्यादि के क्षेत्र में विभिन्न गति विधियों संचालित की जा रही है।

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक 492 /रॉची, दिनांक 05.03.16 /
01/विधानसभा-04-35/2016 उ0वि0

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय का उनके ज्ञाप संख्या–1444 वि0स0, दिनांक–24.02.2016 के आलोक में 250 (दो सौ पचास) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(971)

467
04.03.2016

प्रो० जय प्रकाश वर्मा, मा०स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या –शि०–84

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिलान्तर्गत गाण्डेय प्रखण्ड मुख्यालय का +2 उच्च विद्यालय का भवन लम्बे समय से अपूर्ण है तथा भवन का जितना हिस्सा बचा है उसमें भी दरारें पड़ चुकी हैं;	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। इसकी जांच करायी जा रही है।
2.	क्या यह बात सही है कि लम्बे समय से अधूरे पड़े भवन निर्माण में घोर अनियमितता और राशि का बंदर–बाँट हुआ है;	जांच करायी जा रही है।
3.	क्या यह बात सही है कि भवन के अभाव में बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है;	उपलब्ध भवनों में पठन–पाठन किया जा रहा है।
4.	यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इसमें लगे संवेदक व पदाधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए अधुरे भवन को पूर्ण करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	उपायुक्त, गिरिडीह को विभागीय पत्रांक 381 दिनांक 24.02.2016 द्वारा संपूर्ण मामले को जांच कर नियमसंगत कार्रवाई करने हेतु निदेशित किया गया है।

4/3/16
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखंड–सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–7/स.1वि.(i)–47/2016 467 / दिनांक 04-03-2016

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/3/16
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

972

श्री योगेश्वर महतो, मा.स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या शि-18

क्रमांक	प्रश्न क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	उत्तर डॉ. नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार के दिशा-निदेश के आलोक में पत्रांक- GE/8/92/1065, दिनांक 04.06.2015 को वैसे प्रखण्ड जहाँ कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय संचालित नहीं है, में वर्ष 2015-16 में स्थापना की जानी थी;	वस्तुस्थिति यह है कि जिन प्रखण्डों में कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय नहीं है। वैसे 57 प्रखण्ड में झारखण्ड आवासीय बालिका विद्यालय वैकल्पिक रूप से संचालित की जा रही है।
2.	क्या यह बात सही है कि बोकारो जिला में बेरमो प्रखण्ड से कटकर अलग चन्द्रपुरा प्रखण्ड का निर्माण हुआ है, जिसमें बेरमो के नाम से संचालित उक्त विद्यालय चन्द्रपुरा प्रखण्ड में अवस्थित है। इस तरह बेरमो प्रखण्ड उक्त विद्यालय से वंचित हो गया है;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि वर्तमान में संचालित बेरमो कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय का नाम बदलकर चन्द्रपुरा कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय किया जाय एवं बेरमो में रिक्त उक्त विद्यालय निर्माण के लिए सुनिश्चित आदेश दिया जाए, जो बेरमो प्रखण्ड के नाम से हो;	वस्तुस्थिति यह है कि बेरमो प्रखण्ड के लिए झारखण्ड आवासीय बालिका विद्यालय स्थापना की गई है, जो वैकल्पिक व्यवस्था के तहत कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय, गोमिया में संचालित है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार आदेश पारित कर उक्त पत्रांक के आलोक में बेरमो प्रखण्ड में उक्त विद्यालय का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	बेरमो प्रखण्ड में भवन निर्माण के लिए जमीन की व्यवस्था की जा रही है।

4/3/16

सरकार के संयुक्त सचिव

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 423 / राँची, दिनांक 4/3/2016

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 186, दिनांक 08.02.2016 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/3/16

सरकार के संयुक्त सचिव

973

श्री प्रकाश राम, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-08.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या उत-47

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि उच्च एवं तकनीकी शिक्षा में संविदा पर कार्यरत व्याख्याताओं को भिन्न-भिन्न वेतनमान दिया जा रहा है?	स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम को छोड़कर अन्य नियमित पाठ्यक्रम हेतु संविदा पर शिक्षक नियुक्त नहीं हुए है।
2.	क्या यह बात सही है कि 1996 में संविदा पर नियुक्त व्याख्याताओं को अभी भी चतुर्थ वेतन आयोग के अनुसार वेतन का भुगतान किया जा रहा है?	उत्तर कंडिका-1 में सन्निहित है।
3.	क्या यह बात सही है कि इसी विभाग में 2007 में संविदा पर नियुक्त व्याख्याताओं को पंचम वेतन आयोग एवं वर्तमान में षष्ठम् वेतन आयोग का लाभ दिया जा रहा है?	उत्तर कंडिका-1 में सन्निहित है।
4.	यदि उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इतनी बड़ी विभागीय गड़बड़ी की जाँच कराकर 1996 में नियुक्त व्याख्याताओं को भी षष्ठम् वेतन आयोग के अनुसार वेतन एवं बकाया राशि का भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उत्तर कंडिका-1 में सन्निहित है।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक 5/वि2-56/2016.....608..... राँची दिनांक-04/03/2016

प्रतिलिपिः-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक-1853 दिनांक-29.02.2016 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/03/2016

सरकार के अवर सचिव,
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
झारखण्ड, राँची।

974

श्रीमती निर्मला देवी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–08.03.2016 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–वन–34 का उत्तर सामग्रीः–

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है, कि रामगढ़ जिलान्तर्गत पतरातू प्रखण्ड के लपंगा पंचायत के महुआ टोला गाँव में "वेंकटेश स्पंज आयरन फैक्ट्री" स्थित है, जिससे निकलने वाला जहरीला धुआँ आस पास बसे घने आबादी के क्षेत्रों के लोगो को प्रदूषित कर बिमारी फैला रही है,	आंशिक स्वीकारात्मक।
(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार "वेंकटेश स्पंज आयरन फैक्ट्री" के प्रदूषण से होने वाले बिमारी से बचाने के लिए उक्त फैक्ट्री को बन्द या अन्यत्र स्थापित करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	इकाई द्वारा Online Monitoring System को निर्धारित अवधि में स्थापित नहीं किये जाने के कारण इकाई को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक–बी0–33014/7/2016/PCI-II/7544–7536 दिनांक–02.02.2016 एवं झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के पत्रांक–बी0–701, दिनांक–02.03.2016 द्वारा बन्दी का आदेश निर्गत किया गया है, जिसकी प्रति उपायुक्त, रामगढ़ को भी आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की गई है।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/विधानसभा तारांकित प्रश्न –53/2016– 1296 व0प0, राँची, दि०– 04/03/16

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–1860 दिनांक–29.02.2016 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

4/3/16
(सुनील कुमार)
सरकार के उप सचिव

975

श्रीमती विमला प्रधान, मा० स०वि०स० द्वारा चलते अधिवेशन में दिनांक 08.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं० टन–58 का उत्तर–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तर दाता
श्रीमती विमला प्रधान, मा० सदस्य विधान सभा	*श्री अमर कुमार बाउरी माननीय मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।*

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा राज्य के सभी प्रखण्डों में एक–एक खेल स्टेडियम निर्माण कराये जाने का निर्णय लिया गया था, जिससे कि स्थानीय स्तर पर खेलों को बढ़वा मिल सके परन्तु सिमडेगा विधान–सभा क्षेत्र के पालकोट, केरसई, पाकरटांड़ में अभी तक खेल स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति नहीं दी गई है;	आंशिक स्वीकारात्मक है। सिमडेगा विधान सभा क्षेत्र के राज्य सम्पोषित उच्च विद्यालय, सिमडेगा में एक एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम पूर्ण है। पालकोट, केरसई एवं पाकरटाँड़ में खेल स्टेडियम निर्माण हेतु जिला प्रशासन से प्रतिवेदन/प्रस्ताव अप्राप्त है।
2	क्या यह बात सही है, कि सिमडेगा, हॉकी खेल में काफी अग्रणी है तथा कई ख्याति प्राप्त खिलाड़ी इस क्षेत्र से देश का नाम रौशन कर चुके है;	स्वीकारात्मक है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त तीनों प्रखण्डों में स्टेडियम निर्माण करवाना चाहती है, हों, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वित्तीय वर्ष 2015–16 में इस मद में राशि अवशेष नहीं है। आगामी वित्तीय वर्ष में इस हेतु वित्तीय प्रावधान के अनुरूप नियमानुकूल कार्रवाई की जायगी।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : 1/विधायी–08– 87/16/क 212 / राँची, दिनांक 5·3·16

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 1730/वि०स० दिनांक 29.02.2016 के प्रसंग में 250 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5·3·16
(विनय कुमार राय)
सरकार के संयुक्त सचिव
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग
झारखण्ड, राँची।

(476)

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्रीमती गंगोत्री कुजूर, मा.स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या शि-55

क्रमांक	प्रश्न क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	उत्तर डॉ. नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य के 203 कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय में टैब का वितरण किया जा चुका है, जिनमें से 64 विद्यालयों में इंटरनेट कनेक्शन अब तक दिया नहीं गया है। इससे छात्राएँ टैब का उपयोग नहीं कर पा रहा है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि विभाग की ओर से सभी कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालयों को टैब वितरण के पूर्व वाई-फाई लगाने का निर्देश दिए जाने के बावजूद कई विद्यालयों द्वारा इसकी अवहेलना की जा रही है;	वस्तुस्थिति यह है कि राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक-2742, दिनांक 30.10.2015 द्वारा सभी जिलों में वाई-फाई लगाने का निदेश दिया गया है। तकनीकि कारणों से यह कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उचित कदम उठाने और विभागीय आदेश का उल्लंघन करने वाले विद्यालयों के प्राचार्य एवं संबंधित पदाधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	तकनीकि कठिनाईयों को दूर करते हुये वित्तीय वर्ष 2016-17 में सभी विद्यालयों में वाई-फाई लगाने की योजना प्रस्तावित है ।

4/3/16

सरकार के संयुक्त सचिव

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक......416....../ राँची, दिनांक......4/3/....2016

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 847, दिनांक 15.02.2016 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/3/16

सरकार के संयुक्त सचिव

श्री साधु चरण महतो, माननीय स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक–08.03.2016 को पूछाजानेवाला प्राप्त तारांकित प्रश्न सख्या–उ0–06 की उत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्न	उत्तर सामग्री
1.	क्या यह बात सही है कि सरायकेला–खरसावां जिलान्तर्गत स्थित उषा मार्टिन कंपनी द्वारा अवशिष्ट के रूप मे विषैला पानी (एसिड) को सीतारामपुर डैम में प्रवाहित किया जाता है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के क्षेत्रीय पदाधिकारी के प्रतिवेदन के अनुसार प्रासंगिक कंपनी की प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था संतोषजनक नहीं पायी गयी है। जल प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु बहिःश्राव उपचार संयंत्र स्थापित किये गये हैं एवं कार्यरत हैं, प्रतिवेदित किया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त डैम से सम्पूर्ण आदित्यपुर,गम्हरिया, बागबेड़ा, जुगसलाई एवं जमशेदपुर के अन्य जगहों मे पेय जल की आपूर्ति की जाती है। उक्त कंपनी के द्वारा अवशिष्ट के रूप में बचे विषैला पानी को डैम में प्रवाहित करने के कारण डैम का पानी दुषित हो रहा है, जिस कारण मानव जीवन पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है और कभी भी बडी घटना घटने की संभावना है।	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के क्षेत्रीय पदाधिकारी के प्रतिवेदन के अनुसार प्रासंगिक कंपनी की प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था संतोषजनक नहीं पायी गयी है। जल प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु बहिःश्राव उपचार संयंत्र स्थापित किये गये हैं एवं कार्यरत हैं, प्रतिवेदित किया गया है।
3.	यदि उपयुक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है,तो क्या सरकार उषा मार्टिन कंपनी पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए सीतारामपुर डैम के पानी को दूषित होने से बचाने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक नही तो क्या?	इकाई द्वारा प्रदूषण नियंत्रण हेतु ई0एस0पी0फ्यूम एक्सट्रेक्शन सिस्टम, बैग हाउस एवं जल छिड़काव हेतु मोबाईल टैंकर एवं फिक्सड स्प्रीकलर स्थापित की गई है। जल प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु वहिश्राव उपचार संयंत्र स्थापित किए गए हैं एवं कार्यरत है। झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम–1986 के तहत माननीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी सरायकेला के न्यायालय में वाद सं0 PC-293/14 दिनांक 06.12.2014 द्वारा दायर की गई है,जो माननीय न्यायालय के विचाराधीन है।

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक 497 01/विधानसभा–04–17/2016 उ0वि0 /राँची, दिनांक 07.03.2016/

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय का उनके ज्ञाप संख्या–373 वि0स0, दिनांक–11.02.2016 के आलोक में 250 (दो सौ पचास) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07/03/16
सरकार के संयुक्त सचिव

(978)

श्री केदार हजरा, मा० स०वि०स० द्वारा चलते अधिवेशन में दिनांक 08.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं० टन–36 का उत्तर–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तर दाता
श्री केदार हजरा, माननीय सदस्य विधान सभा	*श्री अमर कुमार बाउरी माननीय मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।*

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि जमुआ विधान सभा क्षेत्र के जमुआ एवं देवरी प्रखण्ड में प्रखण्ड स्तरीय खेल स्टेडियम नहीं है;	आंशिक स्वीकारात्मक है। जमुआ प्रखण्ड में एक प्रखण्ड स्तरीय स्टेडियम निर्मित है।
2	क्या यह बाह सही है, कि खण्ड (1) में वर्णित प्रखण्डों में खेलों के विकास हेतु आधारभूत संरचना का होना जरूरी है;	स्वीकारात्मक है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड (1) में वर्णित प्रखण्डों में खण्ड (2) में उद्धृत विषयवस्तु के आलोक में खेलों के विकास हेतु आधारभूत संरचना के तहत खेल स्टेडियम का निर्माण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वित्तीय वर्ष 2015–16 में इस मद में राशि अवशेष नहीं है। आगामी वित्तीय वर्ष में इस हेतु बजटीय उपबंध के अनुरूप नियमानुकूल कार्रवाई की जायगी।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : 1/विधायी–08– 70/16/क 213 / राँची, दिनांक 5.3.16

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं० 1006/वि०स० दिनांक 17.02.2016 के प्रसंग में 250 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5.3.16
(विनय कुमार चौ)
सरकार के संयुक्त सचिव
पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग
झारखण्ड, राँची।

(979)

श्रीमती विमला प्रधान, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 08.03.2016 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या टन–46 का उत्तर :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तर दाता
श्रीमती विमला प्रधान, मा० सदस्य विधान सभा	श्री अमर कुमार बाउरी, माननीय मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि ऐतिहासिक मेला "जतरा" त्योहार को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा प्रोत्साहन स्वरूप विभिन्न तरीको से सहयोग एवं इसके लिए राशि प्रदान करती है।	स्वीकारात्मक है। सिमडेगा जिला में अवस्थित रामरेखा धाम में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में विभागीय पत्रांक 86 दिनांक 17.06.2015 द्वारा कुल 1,50,000/– (एक लाख पचास हजार) रूपये का आवंटन उपायुक्त, सिमडेगा को उपलब्ध कराया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि सिमडेगा में वर्ष 1950 से प्रतिवर्ष ऐतिहासिक गाँधी मेला का आयोजन किया जाता है, जो अब विकास मेला का रूप ले लिया है, जहाँ पर किसानों द्वारा उत्पादित समान एवं ज्ञानवर्द्धन संबंधी प्रदर्शनी लगायी जाती है	स्वीकारात्मक है।
3.	क्या यह बात सही है कि इस मेले को सरकार द्वारा पर्याप्त संरक्षण नहीं मिल रहा है, जिससे इस आयोजन का स्तर गिर रहा है	उपायुक्त, सिमडेगा से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार गाँधी मेला की नीलामी/बन्दोबस्ती नगर पर्षद, सिमडेगा द्वारा की जाती है एवं प्राप्त राशि का अंश भाग मेला आयोजन पर व्यय किया जाता है। नगर पर्षद, सिमडेगा पर नगर विकास एवं आवास विभाग का नियंत्रण है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या गाँधी मेला आयोजन को प्रोत्साहित/संरक्षित करने का विचार रखती है, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	सरकार का नगर विकास एवं आवास विभाग सरकारी नियमानुसार निर्णय लेने में सक्षम है।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : 1/विधायी–08– 83/16/क 206/ राँची, दिनांक 5.3.16

प्रतिलिपि अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके पत्रांक सं० 1441 राँची दिनांक 24.02.2016 के प्रसंग में 250 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5.3.16

(विनय कुमार राय)
सरकार के संयुक्त सचिव
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग
झारखण्ड, राँची

980

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्री योगेश्वर महतो, मा.स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या शि-19

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	डॉ. नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि प्राईवेट स्कूलों में री-एडमिशन के नाम पर वसुली की जानेवाली राशि को सरकार की सख्ती के बाद विकास शुल्क के नाम से वसुला जा रहा है;	अस्वीकारात्मक ।
2.	क्या यह बात सही है कि सरकारी आदेश के बावजूद प्राईवेट स्कूलों में 25 प्रतिशत गरीब बच्चों/बी.पी.एल. धारी बच्चों का नामांकन नहीं हो रहा है;	विभागीय अधिसूचना संख्या-237, दिनांक 16.02.2016 द्वारा सभी उपायुक्तों एवं जिला शिक्षा अधीक्षकों को निदेशित किया गया है कि समयबद्ध रूप में नामांकन सुनिश्चत करावे।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार प्राईवेट स्कूलों में वसुली की जानेवाली मनमौजी फीस पर पूर्ण पाबंदी के साथ 25 प्रतिशत गरीब बच्चों का नामांकन सभी प्राईवेट स्कूलों में कराने का सुनश्चित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक , नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि निजी विद्यालयों के समस्याओं के निराकरण हेतु झारखण्ड शिक्षा न्यायाधिकरण का गठन किया गया है। झारखण्ड शिक्षा न्यायाधिकरण को राज्य सरकार द्वारा और सुदृढ किया जा रहा है।

4/3/16

सरकार के संयुक्त सचिव

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 413 / राँची, दिनांक 4/3/2016

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 183, दिनांक 08.02.2016 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/3/16

सरकार के संयुक्त सचिव

श्री मनीष जायसवाल, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–08.03.2016 को पूछाजानेवाला तारांकित प्रश्न सख्या–उ0–26 की उत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्न	उत्तर सामग्री
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला के झारक्राफ्ट कार्यालय के अधीनस्थ लगभग–100 (एक सौ) कर्मी वर्षों से दैनिक वेतन पर कार्यरते थे, जिन्हें कुछ दिन पूर्व कार्य से हटा दिया गया है;	अस्वीकारात्मक। झारक्राफ्ट द्वारा निजी एजेंसी के माध्यम से अरबन हाट हजारीबाग में कार्य कराया जा रहा था जिसमें कुल 131 व्यक्ति दैनिक मजदूरी पर कार्य कर रहे थे। नवम्बर 2015 में उक्त एजेंसी से कॉंट्रेक्ट रद्द हो जाने के कारण उक्त दैनिक मजदूरी पर कार्यरत कर्मियों का कार्य बंद हो गया। वर्णित अवधि तक सभी दैनिक कर्मियों का भुगतान किया जा चुका है तथा किसी तरह की मजदूरी आदि झारक्राफ्ट में लम्बित नही है। वर्त्तमान में अरबन हाट हजारीबाग में झारक्राफ्ट द्वारा सीधे दैनिक कर्मियों से कार्य कराया जा रहा है तथा भुगतान भी किया जा रहा है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित कर्मियों में से लगभग–60 (साठ) निकाले गये कर्मियों को उनके बकाया राशि का भुगतान कर शेष 40 (चालीस) कर्मियों का बकाया राशि का भुगतान नही किया गया है जिससे उक्त कर्मियों को काफी परेशानी हो रही है,	अस्वीकारात्मक। कंडिका–1 में वर्णित उत्तर के अनुसार किसी भी दैनिक कर्मी की मजदूरी आदि झारक्राफ्ट में लम्बित नही है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–2 में वर्णित शेष कर्मियों को भी उनके द्वारा किये गये कार्यों का बकाया राशि का भुगतान कराने का विचार रखती है हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?	कंडिका–1 एवं 2 में वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि किसी दैनिक कर्मी का बकाया लम्बित नही है।

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक 491 /रॉची, दिनांक 05.03.16 /
01/विधानसभा–04–33/2016 उ0वि0

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या–1446 वि0स0, दिनांक–24.02.2016 के आलोक में 250 (दो सौ पचास) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

982

466
04-03-2016.

श्री प्रकाश राम, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या –शि0–99

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य के +2 उच्च विद्यालयों में व्यवसायिक शिक्षा का पठन–पाठन की व्यवस्था है;	राज्य के 230 में से मात्र 59 उच्च विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा, पठन–पाठन संचालित है।
2.	क्या यह बात सही है कि व्यवसायिक शिक्षा के कर्मियों की नियुक्ति एवं प्रोन्नति सेवा शर्त्त नियमावली के अभाव में अब तक पठन–पाठन बाधित है;	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। 59 विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा का पठन–पाठन किया जा रहा है। व्यावसायिक शिक्षा के अनुदेशक एवं प्रयोगशाला सहायक की नियमावली गठित नहीं है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार नियमावली बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत् व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम नये स्तर से संचालित किया जा रहा है। झारखण्ड राज्य के परिपेक्ष्य में ही व्यावसायिक शिक्षा के ट्रेडों को लागू करना राज्य हित में होगा। अतः राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत् ही व्यावसायिक शिक्षा संचालित करने की योजना है तथा इसी के परिपेक्ष्य में प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्त नियमावली पर नियमानुकूल निर्णय लिया जाना है।

4/3/16
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखंड–सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–7/स.1वि.(i)–66/2016 466 / दिनांक 04-03-2016

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/3/16
सरकार के संयुक्त सचिव।

983

श्री अमित कुमार, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक-08.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या उत-41

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य गठन के बाद अबतक राज्य के विश्वविद्यालयों में सहायक कम्प्यूटर प्राध्यापकों की नियुक्ति नहीं की गयी है?	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में वर्त्तमान में संविदा के आधार पर ही शिक्षकों से शिक्षण कार्य कराया जा रहा है?	उत्तर अस्वीकारात्मक है। सृजित पद के विरुद्ध कार्यरत शिक्षकों के द्वारा शिक्षण कार्य किया जा रहा है। जिन विषयों में शिक्षक कार्यरत नहीं है अथवा जिन विषयों के लिए पद सृजित नहीं है, किन्तु छात्र नामांकित है, संविदा के आधार पर सेवा प्राप्त शिक्षक से शिक्षण कार्य लिया जा रहा है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य के विश्वविद्यालयों में कम्प्यूटर सहायक प्राध्यापक के पदों का सृजन करते हुए स्थायी नियुक्ति करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	कम्प्यूटर सहायक प्राध्यापक के पद सृजन पर कोई निर्णय नहीं है।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक 5/वि2-39/2015 607 /रांची दिनांक- 04/3/2016

प्रतिलिपि:-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक-1273 दिनांक-20.02.2016 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/03/2016

सरकार के अवर सचिव,
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
झारखण्ड, राँची।

984

श्री विकास कुमार मुण्डा, माननीय स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक–08.03.2016 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–वन–40 का प्रश्नोत्तर

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि राँची जिले के तमाड़ विधान सभा क्षेत्र में हाथियों का तांडव चरम सीमा पर है तथा किसी न किसी इलाके में प्रत्येक दिन हाथियों के द्वारा जान–माल की क्षति पहुँचाई जा रही है;	अस्वीकारात्मक। वास्तविकता यह है कि राँची जिले के तमाड़ विधान सभा क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से हाथियों का एक झुण्ड तमाड़ एवं बुंडु वन प्रक्षेत्र के वनों में निवास कर रहा है। अपने स्वभाव के अनुसार जंगली हाथी आस–पास के रिहायशी इलाकों में जाकर फसल इत्यादि खाते हैं। पिछले कुछ दिनों से बुंडु एवं तमाड़ प्रक्षेत्र में ये गतिविधियाँ बढ़ी है।
(2) क्या यह बात सही है कि वन विभाग के द्वारा हाथियों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने के लिए कोई ठोस एवं कारगर कदम अबतक नहीं उठाया गया है;	जंगली हाथियों के ग्रामीण इलाकों में प्रवेश करने की सूचना मिलते ही वन अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रभावित स्थल पर जाकर ग्रामीणों एवं हाथी अवरोधी दस्ते के सहयोग से हाथियों को जंगल की ओर वापस भेजेने के प्रचलित उपायों द्वारा प्रयास किया जा रहा है।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार तमाड़ विधान सभा क्षेत्र को जंगली हाथियों के उत्पाद से मुक्त कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/विधानसभा तारांकित प्रश्न–57/2016 1292 व0प0, राँची, दिनांक– 04/03/16

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, रांची को उनके ज्ञाप सं0–1734 दिनांक–29.02.2016 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

4/3/16
(सुनील कुमार)
सरकार के उप सचिव

955

श्री दीपक बिरूवा, स०वि०स० द्वारा दिनांक 08.03.2016 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या टन–50 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि :–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है, कि प० सिंहभूम जिलान्तर्गत हाटगम्हरिया प्रखण्ड के नुरदा पंचायत में ग्राम–ईलीगड़ा स्थित हकुयम में शिवजी के मंदिर में प्रत्येक वर्ष हजारों श्रद्धालु पूजा–पाठ/दर्शन हेतु आते है ;	1.	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है, कि श्रद्धालुओं को दर्शनीय लाभ हेतु अवागमन में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ;	2.	वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन स्थल NH-75E मुख्य पथ से 3.5 कि०मी० पर है, जिसमें एक कि०मी० पी०सी०सी० सड़क है, एक कि०मी० ग्रेड–I सड़क तथा 1.5 कि०मी० तक वन विभाग का क्षेत्र पड़ता है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त शिवजी के मंदिर का जीर्णोद्धार करते हुए पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने एवं पहुँच पथ का निर्माण करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	3.	पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के संकल्प संख्या–1494, दिनांक–26.08.2015 के द्वारा राज्य के पर्यटन स्थलों को पर्यटन क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करने के प्रावधान सहित राज्य के पर्यटन स्थलों के वर्गीकरण के साथ पर्यटन स्थलों के विकास कार्य (नई योजनाएँ) हेतु प्राथमिकता क्रम का निर्धारण राज्य स्तरीय पर्यटन संवर्धन समिति तथा जिला स्तर पर जिलास्तरीय पर्यटन संवर्धन समिति द्वारा होना है। अतएव प्रश्नाधीन स्थल के संबंध में जिलास्तरीय पर्यटन संवर्धन समिति से अनुशंसा एवं प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही अग्रेतर समुचित कार्रवाई संभव है।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग,
(पर्यटन प्रभाग)

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/38/2016 506 /राँची, दिनांक 07-03-2016 /

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–1438/वि०स०, दिनांक–24/02/2016 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7/3/16

सरकार के अवर सचिव
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग,

468
04-03-2016.

श्री बादल, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या –शि0–101

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि देवघर जिलान्तर्गत उच्च विद्यालय हरीपुर, सोनारायठाढ़ी, तालझारी एवं रानी सोनावती उच्च विद्यालय, तालेझारी में +2 की पढ़ाई नही होने से छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है.	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन 4 विद्यालयों में 1 ही विद्यालय देवघर में है। शेष 3 विद्यालय दुमका जिले का है। जिला देवघर के तालेझारी में रानी सोनावती उच्च विद्यालय, अवस्थित नहीं है, बल्कि रानी सोनामती उच्च विद्यालय, नौनीहाट, प्रखण्ड रामगढ़, जिला दुमका में अवस्थित है। +2 विद्यालय की सुविधा प्रश्नाधीन विद्यालयों से निम्नवत् है :–

जिला का नाम	उच्च विद्यालय का नाम	+2 विद्यालय का नाम	उच्च विद्यालय से +2 विद्यालय की दूरी
दुमका	उच्च विद्यालय, हरिपुर, प्रखण्ड–जरमुण्डी	+2 उच्च विद्यालय, जरमुण्डी	10 कि0मी0
दुमका	उत्क्रमित उच्च विद्यालय, तालझारी	+2 विद्यालय, जरमुण्डी	10 कि0मी0
देवघर	उच्च विद्यालय, सोनारायठाढ़ी, प्रखण्ड–सोनारायठाढ़ी	+2 उच्च विद्यालय सारवां	20 कि0मी0
दुमका	रानी सोनामती उच्च विद्यालय, नौनीहाट, प्रखण्ड–रामगढ़	+2 विद्यालय, जरमुण्डी	14 कि0मी0

2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित उच्च विद्यालयों को +2 में उत्क्रमित कर शैक्षणिक सत्र 2016–18 से पढ़ाई प्रारम्भ कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत् 7–8 किलोमीटर की परिधि में +2 विद्यालय की सुविधा उपलब्ध कराने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

4/3/16

सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखंड–सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–7 / स.1वि.(i)–65 / 2016 468 / दिनांक 04-03-2016

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

987

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता, मा.स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या शि-21

क्रमांक	प्रश्न **क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-**	उत्तर **डॉ. नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार**
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्रत्येक गाँव के सभी टोलों पर विद्यालय स्थापना करने की घोषणा की गई थी;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिलान्तर्गत हुसैनाबाद अनुमंडल के हुसैनाबाद, मोहम्मदगंज, हैदरनगर, पिपरा तथा हरिहरगंज प्रखण्ड के अनेक गाँवों के टोले पर विद्यालय नहीं खोला गया है;	अस्वीकारात्मक। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक पोषक क्षेत्र के 1 कि.मी. में प्राथमिक विद्यालय (वर्ग 1 से 5) एवं 2 कि.मी. की परिधि में मध्य विद्यालय (कक्षा 6 से 8) स्थापित करने का प्रावधान है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड-1 में वर्णित तथ्यों के आलोक में प्रत्येक गाँव के सभी टोलो पर विद्यालय खोलने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि हुसैनाबाद अनुमंडल के प्रखण्ड हुसैनाबाद, मोहम्मदगंज, हैदरनगर, पिपरा तथा हरिहरगंज में कोई भी गाँव/टोला असेवित नहीं है।

4/3/16

सरकार के संयुक्त सचिव

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक......418....../ राँची, दिनांक......4/3/...2016

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 392, दिनांक 11.02.2016 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/3/16

सरकार के संयुक्त सचिव

988

श्री शिवशंकर उराँव, माननीय स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक–08.03.2016 को पूछाजानेवाला प्राप्त तारांकित प्रश्न सख्या–उ0–27 की उत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्न	उत्तर सामग्री
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में झारक्राफ्ट के 200 कलस्टर है जिनमें से मात्र 15 ही वर्त्तमान में संचालित होने के कारण सरकार को राजस्व की क्षति हो रही है ?	अस्वीकारात्मक। झारक्राफ्ट द्वारा राज्य में संचालित लगभग 200 समूह/समिति/कलस्टर में से 163 पूर्ण रूपेण चालू है तथा शेष 37 समूह/समिति/कलस्टर को शीघ्र चालू करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा रही है। इससे सरकार को राजस्व की कोई क्षति नहीं हो रही है।
2	क्या यह बात सही है कि कतिपय अधिकारियों की कर्यवाही के कारण झारक्राफ्ट को नुकसान की ओर जाना पड़ रहा है ?	अस्वीकारात्मक। झारक्राफ्ट में अधिकारियों के कारण कोई नुकसान नहीं हो रहा है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार झारक्राफ्ट को प्रोत्साहित करने तथा आयोग्य अधिकारियों पर कार्रवाई का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?	सरकार द्वारा झारक्राफ्ट को सुदृढ़ करने हेतु आवश्यक सहायता लगातार प्रदान की जाती है।

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक 495 /रॉची, दिनांक 05.03.16 /
01/विधानसभा–04–37/2016 उ0वि0

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय का/उनके ज्ञाप संख्या–1653 वि0स0, दिनांक–26.02.2016 के आलोक में 250 (दो सौ पचास) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

989

469
04-03-2016

श्री जय प्रकाश भाई पटेल, मा०स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या –शि०–97

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि अविभाजित बिहार राज्य में वित्त रहित शिक्षा नीति लागू की गई थी.	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को इसी शर्त्त पर स्थापना अनुमति अथवा प्रस्वीकृति प्रदान की जाती थी कि संस्थान का कोई वित्तीय भार राज्य सरकार नहीं उठायेगी।
2.	क्या यह बात सही है कि वित्त रहित शिक्षा नीति की कंडिका 3/3 में यह प्रावधान किया गया था कि 02/10/1980 के पूर्व स्थापना अनुमति प्राप्त अथवा आवेदित विद्यालयो को स्थायी प्रस्वीकृति एवं अधिग्रहण करने पर सरकार विचार करेगी जिसमें 117 उच्च विद्यालयों की सूची तैयार की गई थी.	उत्तर अस्वीकारात्मक है। बिहार अराजकीय माध्यमिक विद्यालय (प्रबंध एवं नियंत्रण ग्रहण) अधिनियम, 1981 की धारा–3 की उप धारा–3 में प्रावधान किया गया था कि **अध्यादेश 1980 के प्रख्यापन के 3 वर्षों के भीतर भूमि, भवन, उपकरण, उपस्कर एवं छात्र संख्या के मामले में अगर विद्यालय निर्धारित शर्त्तों को पूरी करता हो तो उसके प्रबंधन एवं नियंत्रण ग्रहण पर अधिसूचना निर्गत की जा सकेगी।** परन्तु उक्त प्रावधान को **बिहार अराजकीय माध्यमिक विद्यालय (प्रबंध एवं नियंत्रण ग्रहण) (संशोधन) अधिनियम, 1993** की धारा द्वारा अधिनियम, 1981 की धारा–3 की उप धारा–3 को विलोपित किया जा चुका है। इस तरह वर्ष 1993 से अधिग्रहण का कोई प्रावधान नहीं रह गया है।
3.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य अलग होने के पश्चात् मात्र 19 उच्च विद्यालय आये परन्तु झारखण्ड सरकार द्वारा उन विद्यालयों को नये स्थापना अनुमति प्राप्त विद्यालयों के साथ जोड़ा जा रहा है.	खण्ड–1 की स्थिति से स्पष्ट है कि वर्ष 1993 में ही बिहार सरकार द्वारा अधिग्रहण संबंधी प्रावधान समाप्त कर दिया गया तथा इस प्रकार झारखण्ड सरकार द्वारा इससे भिन्न कोई कार्रवाई करने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बिहार राज्य में 02/10/1980 के पूर्व आवेदित अथवा स्थापना अनुमति प्राप्त उच्च विद्यालयों को अतिरिक्त अनुदान, घाटा अनुदान अथवा अधिग्रहण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	किसी कोटि के विद्यालयों का अधिग्रहण करने का प्रावधान नहीं रह गया है।

4/3/16

सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखंड–सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–7 / स.1वि.(i)–71 / 2016 469 / दिनांक 04-03-2016

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/3/16

सरकार के संयुक्त सचिव।

990

श्री ढुलू महतो, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-08.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या उत-48

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा धनबाद जिला में कोयलांचल विश्वविद्यालय की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है, और इसके लिए भूमि की तलाश की जा रही है?	उत्तर अस्वीकारात्मक है
2.	क्या यह बात सही है कि पी0के0राय स्मारक महाविद्यालय की लगभग 5 एकड़ जमीन कतरास के पास है एवं आस-पास में पर्याप्त सरकारी भूमि भी उपलब्ध है, जो विश्वविद्यालय के लिए पर्याप्त है?	यह बात सही है कि पी0 के0 राय0 स्मारक महाविद्यालय की लगभग 05 एकड़ जमीन कतरास के पास है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कतरास के नजदीक पी0के0राय कॉलेज की भूमि पर कोयलांचल विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	धनबाद में कोयलांचल विश्वविद्यालय की स्थापना का कोई निर्णय नहीं है।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक 5/वि2-54/2016-605 रांची दिनांक- 04/03/2016

प्रतिलिपि:-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक-1854 दिनांक-29.02.2016 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/03/2016

सरकार के अवर सचिव,
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

591

श्री योगेन्द्र प्रसाद, मा.स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या शि.- 106

क्रमांक	प्रश्न क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	उत्तर डॉ. नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिलाके प्रखण्ड पतना अन्तर्गत पंचायत रांगा में कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय चलता था, परन्तु एक वर्ष पूर्व इसे हटाकर 70 कि0मी0 दूर साहेबगंज के छोटी कोदरजन्ना में स्थानांतरित कर दिया गया है, जिससे छात्रों को पठन-पाठन में काफी कठिनाई होती है;	आंशिक स्वीकारात्मक। रांगा पंचायत भवन में कमरो का अभाव होने के कारण छात्राओं की सुविधा हेतु कल्याण छात्रावास में संचालित किया रहा जा है।
2.	क्या यह बात सही है कि कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय का भवन तालझीटठा, पतना में बनकर तैयार है ;	आंशिक स्वीकारात्मक ।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार तालझीट्ठा में कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय प्रारंभ का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि भवन निर्माण का कार्य चल रहा है। भवन निर्माण कार्य प्रगति पर है।

4/3/16
सरकार के संयुक्त सचिव

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 422 / राँची, दिनांक 4/3/2016

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 1874, दिनांक 01.03.2016 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/3/16
सरकार के संयुक्त सचिव

992

डॉ0 इरफान अंसारी मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-08.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या उत-24

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि जामताड़ा जिलान्तर्गत एक भी सरकारी महिला डीग्री कॉलेज नहीं है जिससे यहाँ की बच्चियों को आगे की पढ़ाई पुरी करने के लिए बाहर जाने को विवश होना पड़ता है?	आंशिक स्वीकारात्मक है। सम्बद्धता प्राप्त जामताड़ा महिला संध्या महाविद्यालय जामताड़ा में स्नातक स्तर के शिक्षण की व्यवस्था है जहाँ इच्छुक छात्राएँ शिक्षा ग्रहण कर रही है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जामताड़ा जिले में महिला डिग्री कॉलेज खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों?	जिन जिलों में अंगीभूत अथवा सम्बद्धता प्राप्त महिला महाविद्यालय नहीं है, वहाँ विभागीय संकल्प ज्ञापांक-2010दिनांक-12.10.2015 द्वारा महिलाओं के लिए स्नातक स्तर की शिक्षा प्रदान करने हेतु महिला महाविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक 5/वि2-23/2016 604 /रांची दिनांक- 04/03/2016

प्रतिलिपि:-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक-494 दिनांक-11.02.2016 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/03/2016

सरकार के अवर सचिव,
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
झारखण्ड, राँची।

(993)

श्री नलिन सोरेन, माननीय स.वि.स. द्वारा दिनांक–08.03.2016 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या टन– 52 का उत्तर:

प्रश्नकर्ता	उत्तर दाता
श्री नलिन सोरेन, माननीय सदस्य विधान सभा	श्री अमर कुमार बाउरी माननीय मंत्री पर्यटन,कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि सुश्री सिपी कुमारी ने राज्य की तीरंदाज राष्ट्रीय स्तर के टुर्नामेन्ट में बाँस के धनुस से 14 गोल्ड मेडल जीत कर राज्य का मान बढ़ाया है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि प्रतिभाशाली तीरंदाज सुश्री सिपी कुमारी वर्ष 2013 में माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी के हाथों नेशनल चाईल्ड अवार्ड भी पा चुकी है ;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड की होनहार तीरंदाज सुश्री सिंपी कुमारी आर्थिक अभाव के कारण अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए प्रोफेशनल धनुष खरीदनें में असमर्थ है ;	स्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बाँस के धनुष से 14 गोल्ड मेडल 2013 में राष्ट्रपति के हाथों नेशनल चाईल्ड अवार्ड जीत चुकी व राज्य का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करने वाली सुश्री सिंपी कुमारी को अन्तरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा हेतु खेल प्रकोष्ट से प्रोफेशनल धनुष दिलाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं, तो क्यो ?	सुश्री सिंपी कुमारी, राष्ट्रीय तीरंदाज का प्रोफेशनल धनुष खरीदने का आवेदन प्राप्त होते ही पन्द्रह दिनों के अन्दर उन्हें प्रोफेशनल धनुष उपलब्ध करा दिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन,कला, संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : 1/ वि० –8 – 79/16/क. 208/ राँची, दिनांक 5.3.16

प्रतिलिपि: अवर सचिव झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके पत्रांक 1666 दिनांक 26.02.16 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं सदन पर रखने हेतु आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5.3.16

सरकार के संयुक्त सचिव
पर्यटन,कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग
झारखण्ड, राँची।

994

श्री नारायण दास, मा० स०वि०स० द्वारा चलते अधिवेशन में दिनांक 08.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं० टन–39 का उत्तर–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तर दाता
श्री नारायण दास, माननीय सदस्य विधान सभा	*श्री अमर कुमार बाउरी माननीय मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।*

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि देवघर जिला में जिला प्रखण्ड एवं पंचायत स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में प्रशासनिक पदाधिकारियों के लापरवाही के कारण वहाँ के स्थानीय छात्र–छात्राएँ कला संस्कृति एवं खेलकूद स्पर्द्धा से विमुख होते जा रहें हैं;	अस्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि जिला में विभागीय स्तर पर खेलकूद एवं कला संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु कोई ठोस योजना नहीं है;	अस्वीकारात्मक है। देवघर जिलान्तर्गत कुल छः स्टेडियम निर्मित/निर्माणाधीन है। साथ ही One time ACA के तहत 1476.51 लाख रूपये की लागत से एक वृहद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स निर्माणाधीन है। कला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए श्रावणी मेला में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं तथा इस वर्ष दो सांस्कृतिक कार्यशालाएं आयोजित की गयी हैं।
3	क्या यह बात सही है कि देवघर प्रखण्ड अंतर्गत रोहिणी में स्टेडियम का निर्माण नहीं किया जा सका है, जो कि एक ऐतिहासिक स्थल रहा है तथा जिसकी मांग वर्षों से की जा रही है;	आंशिक स्वीकारात्मक है। स्टेडियम निर्माण हेतु प्रस्ताव प्राप्त नहीं है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार देवघर प्रखण्ड अंतर्गत रोहिणी में स्टेडियम का निर्माण कर वहाँ के छात्र–छात्राएँ के बहुमुखी विकास का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपायुक्त से प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुकूल कार्रवाई की जायगी।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : 1/विधायी–08– 75/16/क 203 / राँची, दिनांक 5·3·16

प्रतिलिपि: उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं० 1219/वि०स० दिनांक 18.02.2016 के प्रसंग में 250 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5-3-16
(विन्ध्य कुमार राय)
सरकार के संयुक्त सचिव
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग
झारखण्ड, राँची।

श्री अनन्त कुमार ओझा, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–08.03.2016 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–वन–24 का उत्तर सामग्रीः–

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला के उधवा प्रखण्ड अन्तर्गत पतौड़ा झील पक्षी अश्रायणी अवस्थित है, जो साईबेरियन पक्षी का अश्रायणी है एवं पर्यावरण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थल है ?	आंशिक स्वीकारात्मक। साहेबगंज जिले के उधवा एवं राजमहल प्रखण्ड में अवस्थित पतौड़ा झील (क्षे0 155 है0) तथा ब्रह्मा जमालपुर झील (बरहेल झील–क्षे0 410 है0), उधवा झील पक्षी आश्रयणी के रूप में वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम के तहत् अधिसूचित है। यह साईबेरियन क्रेन का आश्रयणी नहीं है। विगत वर्षो में साईबेरियन क्रेन पक्षी के इस आश्रयणी में आने की सूचना प्राप्त नहीं है। जनवरी, 2015 में कराए गए Bird Census में कुल 7,823 पक्षी इस आश्रयणी में पाए गए थे। इस आलोक में यह आश्रयणी पर्यावरण की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थल है।
(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड (1) में वर्णित पक्षी अश्रायणी स्थल का अतिक्रमण किया जा रहा है, जिससे पर्यावरण संतुलन का खतरा पैदा हो गया है ?	पतौड़ा झील पक्षी आश्रयणी में स्थायी अतिक्रमण नहीं है। झील के पानी के सूख जाने पर वहाँ ग्रामीण खेती करते हैं, जो पानी आने पर स्वतः समाप्त हो जाता है।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पतौड़ा झील पक्षी अश्रायणी को अतिक्रमण मुक्त कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	पतौड़ा झील क्षेत्र में पानी सूखने पर खेती करने वालों को खेती करने से रोकने का कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/विधानसभा तारांकित प्रश्न –21/2016– 1293 व0प0, राँची, दि०– 04/03/16

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–841 दिनांक–15.02.2016 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

4/3/16

(सुनील कुमार)
सरकार के उप सचिव

996

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्री फूलचन्द मंडल, मा.स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या शि-47

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	डॉ. जीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला के गोविन्दपुर प्रखण्डान्तर्गत मध्य विद्यालय, उपर अंकुरा, देवली, भुर्गाबनी, विराजपुर, महुबनी, सोनदीया, खड़काबाद, भरियो, माचामहुल, जमडीहा, सरकारडीह मटियाला, शहरपुरा एवं खरनी (बरियो) में चाहरदीवारी (Boundary-Wall) का निर्माण नहीं हुआ है;	स्वीकारात्मक।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त मध्य विद्यालयों के चाहरदीवारी (Boundary-Wall) के निर्माण कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि सर्व शिक्षा अभियान की वर्ष 2016-17 की योजना में चाहरदीवारी (Boundary-Wall) के निर्माण हेतु राशि प्राप्त होने की स्थिति में चाहरदीवारी (Boundary-Wall) के निर्माण कार्य कराया जा सकेगा।

4/3/16

सरकार के संयुक्त सचिव

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक.....411..... राँची, दिनांक.....4/3/.....2016

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 500, दिनांक 11.02.2016 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/3/16

सरकार के संयुक्त सचिव

998

श्री चमरा लिण्डा, स०वि०स० द्वारा दिनांक–08.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–खा0–19

क्या मंत्री,
खान एवं भूतत्व विभाग
यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:– माननीय मंत्री:–

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है, कि आदिवासियों की रैयती जमीन से हिण्डालकों या अन्य कंपनी को बिना किसी प्रावधान के तहत बॉक्साइड खुदाई करने का अनुमति दिया गया है, तथा यह कितने वर्षों के लिए दिया गया है;	उत्तर अस्वीकारात्मक है। खनन पट्टे की स्वीकृति MMDR Act, 1957 एवं MC Rule, 1960 के प्रावधानों के तहत दी गई है। खनन पट्टो की स्वीकृति 10 से 30 वर्षों के लिए दी गई है।
2.	क्या यह बात सही है कि आदिवासियों का जमीन से बॉक्साईड खुदाई के लिए प्रति एकड़ रैयत को Compensation देने का प्रावधान है, जिसका निर्धारण सरकार के स्तर से किया जाता है;	उत्तर स्वीकारात्मक है। CNT Act, 1908 के प्रावधानों के तहत उपायुक्त द्वारा Compensation निर्धारण के उपरांत रैयतों को A/c payee cheque के माध्यम से भुगतान किया जाता है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कंपनी को आदिवासी जमीन से बॉक्साईड खुदाई के लिए सरकार द्वार लीज प्रदान किया गया है, वह कंपनी पुनः किसी व्यक्ति या अन्य कंपनी को उसी जमीन पर लीज दे सकता है, हाँ तो किस नियम के तहत, नहीं तो क्यों?	वस्तुस्थिति यह है कि पट्टेधारी द्वारा अन्य कंपनी को लीज नहीं दिया जा सकता है। MC Rules, 1960 के नियम 37 के प्रावधानों के तहत खनन पट्टे का हस्तान्तरण किसी अन्य कंपनी को राज्य सरकार की अनुमति से किए जाने का प्रावधान है। -

झारखण्ड सरकार
उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग
(खान एवं भूतत्व प्रभाग)

ज्ञापांक:–वि०स०(ता0)–33 / 2016 312 /एम०, राँची दिनांक– 7.3.16

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र०–1873 दिनांक–01.03.2016 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7.3.16
सरकार के संयुक्त सचिव

999

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता, मा.स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या उत-11

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	डॉ. नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिलान्तर्गत हुसैनाबाद अनुमण्डल में प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना नहीं की गई है जिसके कारण लोग तकनीकि शिक्षा से वंचित हो रहे है;	वस्तुस्थिति यह है कि भारत सरकार की निर्देशिका के अनुसार प्रत्येक जिले में एक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का प्रावधान है। फलतः अनुमंडल में प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित नही किये जा सकते है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार पलामू जिलान्तर्गत हुसैनाबाद अनुमण्डल में प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	इस खण्ड का उत्तर उपरोक्त खण्ड में निहित है।

4/3/16
सरकार के संयुक्त सचिव

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक.....412...../ राँची, दिनांक.....4/3/.....2016

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 404, दिनांक 11.02.2016 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/3/16
सरकार के संयुक्त सचिव

1000

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्री अमित कुमार, मा.स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या शि-79

क्रमांक	प्रश्न **क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-**	उत्तर **डॉ. नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार**
1.	क्या यह बात सही है कि विगत दस वर्षों से प्राथमिक सरकारी विद्यालयों में सरस्वती वाहिनी, माता समिति एवं ग्राम शिक्षा समिति का चुनाव नहीं कराया गया है जिससेविद्यालय प्रबंधन में भ्रष्टाचार एवं अव्यवस्था को बढ़वा मिल रहा है;	स्वीकारात्मक।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड-1 में वर्णित समितियों का चुनाव कराते हुए नये समितियों का गठन वित्तीय वर्ष 2015-16 में करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि सरस्वती वाहिनी, माता समिति एवं ग्राम शिक्षा समिति का पुनर्गठन प्रक्रियाधीन है।

4/3/16

सरकार के संयुक्त सचिव

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक.........414........./ राँची, दिनांक..................4/3/......2016

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 1279, दिनांक 20.02.2016 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/3/16

सरकार के संयुक्त सचिव

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्री सुखदेव भगत, मा.स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या शि-74

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	डॉ. नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि लोहरदगा जिलामें 74 मध्य विद्यालयों में विगत चार वर्षों से स्थायी प्रधानाध्यापक नहीं है, जिसके कारण शिक्षकों को वेतन निकासी में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और वेतन निकासी में ही शिक्षकों को ज्यादा समय चला जाता है;	अस्वीकारात्मक। आवश्यक दिशा-निदेश दिया जा चुका है।
2.	यदि उपरोक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार लोहरदगा जिलाके 74 मध्य विद्यालयों में स्थायी प्रधानाध्यापक की नियुक्ति करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक , नहीं तो क्यों ?	विभागीय पत्रांक- 605(विधि) दिनांक 15.12.2015 द्वारा सभी जिला शिक्षा अधीक्षक को पारस्परिक वरीयता निर्धारित करते हुए प्रोन्नति हेतु कार्रवाई करने का निदेश दिया जा चुका है।

4/3/16

सरकार के संयुक्त सचिव

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक......419....../ राँची, दिनांक......4/3/...2016

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 1280, दिनांक 20.02.2016 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/3/16

सरकार के संयुक्त सचिव

1002

श्री राज सिन्हा, मा० स०वि०स० द्वारा चलते अधिवेशन में दिनांक 08.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं० टन–51 का उत्तर:–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तर दाता
श्री राज सिन्हा, माननीय सदस्य विधान सभा	*श्री अमर कुमार बाउरी माननीय मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।*

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि धनबाद शहर में एक मात्र रणधीर प्र० वर्मा स्टेडियम है;	आंशिक स्वीकारात्मक है। इसके अतिरिक्त धनबाद जिलान्तर्गत विभाग द्वारा एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स निर्माणाधीन है।
2	क्या यह बाह सही है, कि रख–रखाव के अभाव में उक्त स्टेडियम की स्थिति अत्यन्त जर्जर हो गई है;	आंशिक स्वीकारात्मक है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त स्टेडियम का जीर्णोद्धार आधुनिक स्टेडियम के रूप में करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उक्त स्टेडियम के जीर्णोद्धार का प्राक्कलन जिला से प्राप्त होने पर बजटीय प्रावधान के अनुरूप नियमानुकूल कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : 1/विधायी–08– 80/16/क 211 / राँची, दिनांक 5-3-16

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं० 1665/वि०स० दिनांक 26.02.2016 के प्रसंग में 250 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5.3.16
(विनय कुमार राय)
सरकार के संयुक्त सचिव
पर्यटन कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग
झारखण्ड, राँची।

1003

श्री राधाकृष्ण किशोर, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–08.03.2016 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–वन–39 का उत्तर सामग्री:–

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि सम्पूर्ण झारखण्ड प्रदेश मे विगत 05 वर्षों में जलवायु परिवर्तन का कुप्रभाव जैव विविधता पर पड़ रहा है;	स्वीकारात्मक।
(2) यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बताएगी कि जलवायु परिवर्तन के कुप्रभाव की रोकथाम के लिए योजना बनाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	जलवायु परिवर्तन के कुप्रभाव की रोकथाम के लिए Jharkhand Action Plan on Climate Change का निर्माण किया गया है और उसके अंतर्गत एक Adaptation Plan (वानिकी सेक्टर) और एक Mitigation Project (उर्जा सेक्टर) तैयार कर Funding हेतु भारत सरकार को भेजा गया है तथा एक अन्य Mitigation Proposal (दूरस्थ वनों के समीप अवस्थित ग्रामों मे सौर उर्जा से संबंधित) राज्य सरकार के विचाराधीन है।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/विधानसभा तारांकित प्रश्न –56/2016– 1294 व0प0, राँची, दि०– 04/03/16

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–1733 दिनांक–29.02.2016 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

4/3/16
(सुनील कुमार)
सरकार के उप सचिव

1004

श्री अनन्त कुमार ओझा, माननीय स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक–08.03.2016 को पूछाजानेवाला प्राप्त तारांकित प्रश्न सख्या–उ0–18 की उत्तर सामग्री।

क्र०	प्रश्न	उत्तर सामग्री
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य का संथाल परगना प्रमण्डल अन्य प्रमण्डलों के समतुल्य विकसित नहीं हो पाया है जिसे कारण क्षेत्र के युवा एवं आमजन विकास से अभी भी दूर है;	अस्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि संथाल परगना विकास प्राधिकार की स्थापना की जा चुकी है, किन्तु प्राधिकार के माध्यम से आजतक क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया है;	अस्वीकारात्मक। संथाल परगना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, 2006 से कार्यरत है एवं इसका मुख्यालय देवघर में स्थित है। वर्त्तमान में प्राधिकार अंतर्गत कुल 40 इकाइयाँ कार्यरत हैं जिससे 817 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त है। वर्त्तमान में प्राधिकार के पास उद्योगों की स्थापना हेतु 20 आवेदन प्राप्त हुए हैं एवं प्रक्रियाधीन है।
3.	यदि उपयुक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार संथाल परगना प्रमण्डल के विकास हेतु योजना का क्रियान्वयन कर क्षेत्रीय विकास कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	संथाल परगना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार निरंतर संथाल परगना के औद्योगिक विकास हेतु प्रयासरत है। वर्त्तमान में 20 उद्योगों की स्थापना का जो प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, उसकी जाँच की प्रक्रिया जारी है।

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक 496 /राँची, दिनांक 07.03.2016/
01/विधानसभा–04–28/2016 उ0वि0

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या–1011 वि0स0, दिनांक–17.02.2016 के आलोक में 250 (दो सौ पचास) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/16

सरकार के संयुक्त सचिव

1005

463
04-03-2016.

श्री मनीष जायसवाल, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या –शि0–102

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग विधान–सभा क्षेत्र में जिला स्कूल, हजारीबाग अवस्थित है, जिसका एक हिस्सा इन दिनों गिर चुका है, जिसके कारण उक्त स्कूल में पढ़ रहे लगभग 800 (आठ सौ) छात्र काफी दहशत में रहते हैं,	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। कुल 20 वर्ग कक्ष में से 10 वर्ग कक्ष क्षतिग्रस्त हैं।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित स्कूल के जर्जर होने के कारण उक्त क्षेत्र के अनेकों लोग अपने बच्चों का नामांकन उक्त स्कूल में नहीं कराना चाहते हैं,	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार छात्रहित में खण्ड–1 में वर्णित स्कूल का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	विभागीय पत्रांक 448 दिनांक 03.03.2016 द्वारा उपायुक्त, हजारीबाग से प्रश्नाधीन विद्यालय के भवन निर्माण हेतु प्रस्ताव की मांग की गयी है।

4/3/16

सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखंड–सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–7 / स.1वि.(i)–69 / 2016 463 / दिनांक 04-03-2016 /

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/3/16

सरकार के संयुक्त सचिव।

1006

465
04-03-2016

श्री जय प्रकाश भाई पटेल, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या –शि0–104

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत स्थापित मॉडल विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई हेतु वर्ग–vi नामांकन हेतु 2015 प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा 23.06.2015 को आयोजित की गयी थी,	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिलान्तर्गत विष्णुगढ़ प्रखण्ड में सम्मिलित छात्रा अकांक्षा कुमारी का प्रवेश पत्र क्रमांक–78 आर्यन कुमार मिश्रा का 79, सौरभ कुमार सिंह, 80, मुस्कान अंसारी का 81 तथा पियूष कुमार का 82 है जबकि जैक द्वारा प्रकाशित परीक्षाफल सूची में क्रमांक सही नहीं प्रेषित किये जाने से नामांकन में घोर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।	उत्तर स्वीकारात्मक है।
3.	क्या यह बात सही है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम समन्वय रा0मा0शिक्षा अभि0, हजारीबाग के पत्रांक– 22, दिनांक– 01.10.2015 के द्वारा परीक्षाफल में आयी कमी को त्रुटि सुधार हेतु सचिव, झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, नामकुम राँची को प्रेषित की गई है परन्तु आज तक इसका निराकरण नहीं हो पाया है जिससे नामांकन में घोर कठिनाई हो रही है,	परीक्षाफल के क्रमांक में त्रुटि थी। इस कारण से जिला शिक्षा पदाधिकारी, हजारीबाग के पत्रांक– 221, दिनांक– 01.10.2015 के द्वारा सचिव, झारखण्ड अधिविद्य परिषद् को परीक्षाफल में सुधार हेतु अनुरोध किया गया तथा झारखण्ड अधिविद्य परिषद् ने दिनांक 01.12.2015 द्वारा संशोधित परीक्षाफल उपलब्ध करा दिया।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलम्ब परीक्षाफल सुधार कर उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं का नामांकन हेतु आदेश निर्गत कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	संशोधित परीक्षाफल के आधार पर 5 छात्र–छात्राओं का नामांकन कर दिया गया है।

4/3/16

सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखंड–सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–7/स.1वि.(i)–68/2016 465 / दिनांक 04-03-2016

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/3/16

सरकार के संयुक्त सचिव।

1007

श्री रामकुमार पाहन, माननीय स० वि० स० द्वारा दिनांक 08.03.2016 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–वन–19 का प्रश्नोत्तर

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत अनगड़ा प्रखण्ड स्थित रूपडु बरवादाग इत्यादि क्षेत्रों में लकड़ी से कोयला तैयार करने के लिए अनेकों भट्ठी बना हुआ है लेकिन सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है।	आंशिक स्वीकारात्मक। अनगड़ा प्रखण्ड स्थित रूपडु, बरवादाग इत्यादि क्षेत्रों में लकड़ी से कोयला तैयार करने वाले अभियुक्तों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए अभी तक 28 वन वाद दायर किया जा चुका है।
(2) क्या यह बात सही है कि उक्त क्षेत्र में लकड़ी से कोयला तैयार करने में दिनों दिन अंधाधुंध लकड़ी की कटाई हो रही है,	आंशिक स्वीकारात्मक। वर्ष 2011 से 2015 के बीच अवैध पातन से संबंधित 39 वाद दायर किए गये हैं।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उक्त क्षेत्रों में स्थित भट्ठी को ध्वस्त एवं संबंधित व्यक्तियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	यदि कोई इस तरह का मामला संज्ञान में आता है तो उनपर त्वरित कार्रवाई की जाती है।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/विधानसभा तारांकित प्रश्न सं०–37/2016– 1299 व०प०, राँची, दि०– 04/03/16

प्रतिलिपि–अदर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं०–497 दिनांक–11.02.2016 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

4/3/16
(सुनील कुमार)
सरकार के उप सचिव

1008

श्री नागेन्द्र महतो, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक-08.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या उत-46

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि दिनांक-25 नवम्बर,2015 को विनोबा भावे विश्वविद्यालय की संबंधन समिति की बैठक में स्नातकोत्तर जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा विभाग की स्थापना करने का निर्णय लिया गया था?	यह बात सही नहीं है कि विनोबा भावे विश्व विद्यालय संबधन समिति की बैठक दिनांक-25 नवम्बर 2015 को सम्पन हुई है। विश्वविद्यालय की विभिन्न समितियों द्वारा पारित स्नातकोत्तर विभाग स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव विभाग को उपलब्ध कराया गया है। प्राप्त प्रस्ताव अनुमोदन की प्रक्रियाधीन है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित संबंधन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार अब तक स्नातकोत्तर जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा में पढाई प्रारंभ करने हेतु पहल नहीं किया गया है, जिससे उद्भूत भाषा का विकास बाधित हो रहा है?	उत्तर कंडिका-1 में सन्निहित है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड-1 में वर्णित भाषा से संबंधित विभाग की स्थापना करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उत्तर कंडिका-1 में सन्निहित है।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक 5/वि2-55/2016-609 राँची दिनांक- 04/03/2016

प्रतिलिपिः-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक-1852 दिनांक-29.02.2016 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/03/2016

सरकार के अवर सचिव,
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
झारखण्ड, राँची।